छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण
सोमवार, दिनांक 21 फरवरी, 2005
(फाल्गुन 2, 1926)

विधानसभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।

1. राष्ट्रगीत

"वन्दे मातरम" की धुन बजाई गई।

2. महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय की घोषणानुसार महामहिम राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा की गई।

महामहिम राज्यपाल महोदय का चल समारोह के साथ सभा भवन में आगमन हुआ।

राष्ट्रगान "जन-गण-मन" की धुन बजाई गई।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया।

राष्ट्रगान "जन-गण-मन" की धुन बजाई गई।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने चल समारोह के साथ सभा भवन से प्रस्थान किया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए)

सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा सभा में दिए गए अभिभाषण की प्रति सभा पटल पर रखी गई।

3. महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री बद्रीधर दीवान, सदस्य द्वारा निम्नलिखित कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :-

"महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं।"

श्री देवलाल दुग्गा, सदस्य ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।

माननीय अध्यक्ष द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए 28 फरवरी, 1 तथा 2 मार्च, 2005 का समय निर्धारित करने तथा उक्त प्रस्ताव पर दिनांक

22 फरवरी, 2005 के अपराह्न 3.00 बजे तक विधानसभा सचिवालय में संशोधन प्राप्त करने की घोषणा की गई।

4. सभापति तालिका

माननीय अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

1. श्री अघन सिंह ठाकुर
2. श्री ब्रदीधर दीवान
3. श्री विक्रम उसेंडी
4. श्री सत्यनारायण शर्मा
5. श्री गणेश शंकर बाजपेयी
6. श्री धर्मजीत सिंह

5. सदन के समय में परिवर्तन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज दिनांक 21 फरवरी, 2005 को कार्यमंत्रणा समिति द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार दिनांक 22 फरवरी, 2005 से सभा की बैठकों का समय प्रातः 11.00 बजे से 1.30 बजे तथा 3.00 से 5.30 बजे तक रहेगा।

6. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष द्वारा श्री पी.व्ही. नरसिम्हा राव, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, श्री रामा कोन्दा तथा श्री कन्हैयालाल कोसरिया, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य एवं प्राकृतिक आपदा "सुनामी" में मृतक जन के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए।

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) एवं नेता प्रतिपक्ष (श्री महेन्द्र कर्मा) ने भी शोकोद्गार व्यक्त किए।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं शोक संतप्तजन के लिए संवेदना प्रकट की गई।

अपरान्ह 12.09 बजे सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 22 फरवरी, 2005 (फाल्गुन 3, शक संवत् 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण
मंगलवार, दिनांक 22 फरवरी, 2005
(फाल्गुन 3, 1926)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

कार्यवाही प्रारंभ होते ही माननीय श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने माननीय अध्यक्ष का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि विधानसभा के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कर्मियों ने स्वयं का परिचय देने के बावजूद उनकी गाड़ी में पास न लगे होने के कारण परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया एवं दुर्व्यवहार किया।

1. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने इस पर व्यवस्था दी कि यह जानते हुए भी कि कोई माननीय स दस्य है और उनके आने में रूकावट करे तो उसके खिलाफ जरूर कार्यवाही करेंगे, लेकिन माननीय सदस्यों से भी आग्रह है कि वे कृपया अपने परिचय-पत्र और जो कार-पास है, कृपया उसे लगायें ताकि सुरक्षा संबंधी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को भी बनाए रखने में आप सभी का सहयोग अत्यंत आवश्यक है।

माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल ने भी ध्यान आकर्षित किया कि उनकी गाड़ी में पास लगा होने पर भी उन्हें और उनके साथियों को रोका गया । माननीय अध्यक्ष ने सचिव, विधानसभा को इस प्रकरण में कार्यवाही करने का निर्देश दिया।

गृहमंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) ने स्पष्ट किया कि उन्हीं वाहनों को रोका गया, जिनके पास नहीं थे तथा माननीय सदस्यों को नहीं रोका गया।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 एवं 12 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 6 तारांकित प्रश्न एवं 12 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय ने सदनको सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक, सोमवार, दिनांक 21 फरवरी, 2005 को संपन्न हुई, जिसमें निम्नानुसार वित्तीय कार्य के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

○	वित्तीय कार्य	निर्धारित समय
1.	वर्ष 2004-05 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	3 घंटे
2.	वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक से संबंधित मंत्रियों के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु निम्नानुसार समय का निर्धारण किया गया:-	○

क्र.	मान.मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण	निर्धारित समय
○	○	○	○	○
1.	डॉ. रमन सिंह	1	सामान्य प्रशासन	
○	○	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	
○	○	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	3 घंटे
○	○	32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	
○	○	65	विमानन विभाग	
○	○	25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय	
○	○	○	○	○
2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	3	पुलिस विभाग से संबंधित व्यय	
○	○	4	गृह विभाग से संबंधित व्यय	
○	○	5	जेल विभाग से संबंधित व्यय	
○	○	18	श्रम विभाग से संबंधित व्यय	2 घंटे
○	○	26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	
○	○	37	पर्यटन विभाग से संबंधित व्यय	
○	○	51	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	
○	○	○	○	○
3.	श्री अमर अग्रवाल	6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	
○	○	7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	
○	○	31	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	
○	○	50	20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय	
○	○	60	जिला परियोजना से संबंधित व्यय	
○	○	22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय प्रशासन	2 घंटे○ 30 ि
○	○	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-	मनट

			नगरीय कल्याण	
○	○	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	
○	○	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	
○	○	56	ग्रामोद्योग	
○	○	78	ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
○	○	○	○	○
4.	श्री अजय चन्द्राकर	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	
○	○	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	
○	○	59	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाऐं	2 घंटे○ 30 िमनट
○	○	28	राज्य विधान मण्डल	
○	○	44	उच्च शिक्षा	
○	○	46	विज्ञान एवं टेक्नालॉजी	
○	○	47	तकनीकी शिक्षा तथा जनशक्ति नियोजन विभाग	
○	○	○	○	○
5.	श्री रामविचार नेताम	15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत	
○	○	33	आदिम जाति कल्याण	
○	○	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	
○	○	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य - सड़कें और पुल	
○	○	49	अनुसूचित जाति कल्याण	
○	○	53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	
○	○	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	2 घंटे
○	○	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	
○	○	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	
○	○	77	बिलासपुर संभाग में आदिवासी क्षेत्रों का विकास संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाऐं	
○	○	82	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वि	

			त्तीय सहायता	
○	○	83	आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत	
○	○	○	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	○
6.	श्री ननकीराम कंवर	13	कृषि	2 घंटे
○	○	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	30 मिनट
○	○	16	मछलीपालन	
○	○	17	सहकारिता	
○	○	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	
○	○	71	पशुपालन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाऐं	
○	○	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	
○	○	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	
○	○	9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	
○	○	35	पुनर्वास	
○	○	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	
○	○	○	○	○
7	श्री गणेश राम भगत	10	वन विभाग	1 घंटा
○	○	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	30 मिनट
○	○	○	○	○
8.	श्री मेघाराम साहू	39	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	1 घंटा 30 मिनट
○	○	○	○	○
9	श्री हेमचन्द यादव	23	जल संसाधन विभाग	
○	○	40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय	
○	○	43	खेल एवं युवक कल्याण	
○	○	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	1 घंटा 30 मिनट
○	○	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
○	○	75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
○	○	36	परिवहन विभाग	
○	○	○	○	○
10.	श्री राजेश मूणत	24	लोक निर्माण कार्य - सड़के और पुल	2 घंटा 30 मिनट
○	○	67	लोक निर्माण कार्य - भवन	
○	○	76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
○	○	27	स्कूल शिक्षा	○

○ ○	○ ○		○
11. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1 घंटा 30 मिनट
○ ○	61	लोक स्वास्थय एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
○ ○	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	
○ ○	○ ○		○
12. श्री केदार कश्यप	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	1 घंटा 30 मिनट
○ ○	○ ○		○
13. श्रीमती रेणुका सिंह	34	समाज कल्याण	1 घंटा
○ ○	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	

श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4. अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार नवंबर-दिसंबर, 2004 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर पटल पर रखे गये ।

5. नियम 267-क के अधीन सूचनाएं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार नियम 267-क के अधीन नवंबर-दिसंबर, 2004 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा गया।

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयक

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि द्वितीय विधानसभा के नवंबर-दिसंबर, 2004 सत्र में पारित विधेयकों में से 17 विधेयकों पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है।

सचिव, विधानसभा द्वारा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्र-30 -क की अपेक्षानुसार उपर्युक्त 17 अनुमति प्राप्त विधेयकों का विवरण पटल पर रखा गया ।

अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण को पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

7. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष द्वारा जनप्रतिनिधियों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाने के संबंध में सर्वश्री महेन्द्र कर्मा, रविन्द्र चौबे, धनेन्द्र साहू, अमरजीत भगत, राजकमल सिंघानिया, उदय मुदलियार, डॉ. शिवकुमार डहरिया, मो. अकबर, सियाराम कौशिक तथा गुलाब सिंह से प्राप्त सूचनाओं में से श्री महेन्द्र कर्मा, सदस्य की सूचना पढ़ी गई।

गृह मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस पर वक्तव्य दिया।

शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हेतु अपराह्ना साढ़े तीन बजे का समय नियत किया।

सर्वश्री रविन्द्र चौबे, उदय मुदलियार, डॉ. शिवकुमार डहरिया, सत्यनारायण शर्मा, महेन्द्र कर्मा, सदस्य ने विषय की संवेदनशीलता के कारण स्थगन प्रस्ताव पर तत्काल चर्चा की मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि विषय-सूची में शामिल अन्य विषय भी महत्वपूर्ण हैं, इस स्थगन-प्रस्ताव पर 3.30 बजे विस्तृत चर्चा हो जायेगी।

नेता प्रतिपक्ष (श्री महेन्द्र कर्मा) ने अपनी ध्यानाकर्षण सूचना प्रारंभ किया ।

सर्वश्री मो. अकबर, डॉ. शिवकुमार डहरिया, उदय मुदलियार, ताम्रध्वज साहू, महेन्द्र कर्मा, सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव पर तत्काल चर्चा कराने की पुन: मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने व्यक्त किया कि उन्होंने इस स्थगन पर 3.30 बजे चर्चा कराने की व्यवस्था दे दी है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाये गये।

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सदस्य ने भी स्थगन प्रस्ताव पर तत्काल चर्चा कराने का अनुरोध किया।

8. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि, नियमों में इस बात का उल्लेख है कि स्थगन-प्रस्ताव के बाद अन्य कोई विषय नहीं लिया जायेगा और आज के और विषय भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं और मैं एक बार फिर तमाम माननीय सदस्यों से यह आग्रह करूंगा कि जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था का पालन करें, और विषयों पर भी चर्चा करें। सारे विषय प्रदेश के और जनहित में ही हैं और सदन में चर्चा के लिए रखे जाते हैं, स्वीकृत विषय हैं। आपको यह लाभ होगा कि इन विषयों की अधिकतम चर्चा हो जाएगी और आपके स्थगन पर भी चर्चा हो जाएगी।

9. बहिर्गमन

नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा के नेतृत्व में प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा स्थगन-प्रस्ताव पर तत्काल चर्चा न कराए जाने के विरोध में बहिर्गमन किया गया ।

10. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री चंदूलाल साहू, सदस्य ने पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी सि मति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(प्रतिपक्ष के बहिर्गमन के कारण छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे औद्योगिकीकरण से होने वाले जल एवं वायु प्रदूषण के कारण जन-जीवन को क्षति होने विषयक नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा नहीं हो सकी)

(12.31 से 3.05 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए)

11.व्यवस्था

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन का बहिष्कार किए जाने पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि-

सदन को स्मरण होगा कि आज प्रश्नकाल के पश्चात् माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य प्रतिपक्ष के सदस्यो ंसे प्राप्त स्थगन प्रस्ताव को मैंने तात्कालिकता एवं महत्व को देखते हुए सभा में पढ़कर सुनाया था और शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 57 के अंतर्गत दोपहर 3.30 बजे का समय चर्चा के लिए नियत किया था। किसी स्थगन प्रस्ताव पर जब चर्चा प्रारंभ हो उस संबंध में भी नियमावली में यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि चर्चा होने के दो घंटे बीत जाने पर यदि चर्चा पूर्व में ही समाप्त न हो गई हो तो चर्चा आज ही समाप्त हो जायेगी।

मेरे द्वारा समय नियत किए जाने के पश्चात् मैंने आज की कार्यसूची में निर्धारित कार्यों को क्रम से लेना आरंभ किया था और ध्यानाकर्षण सूचना के क्रम में मैंने सर्वप्रथम माननीय नेता प्रतिपक्ष का नाम भी पुकारा था और उन्होंने ध्यानाकर्षण सूचना को पढ़ना प्रारंभ किया था किन्तु माननीय नेता प्रतिपक्ष को मेरे द्वारा अनुमति दिये जाने और उनके द्वारा उनकी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ना प्रारंभ करते ही एकाधिक प्रतिपक्ष के सदस्यो ने पुन: इस बात को दोहराना प्रारंभ किया कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा तत्काल प्रारंभ की जाए। सदस्यों द्वारा उनके विचार व्यक्त किए जाने के पश्चात् मैंने तत्समय व्यवस्था दी थी कि नियमों के अंतर्गत चर्चा के लिए ग्राह्य किए जाने पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा दोपहर 3.30 बजे ही प्रारंभ हो सकती है। मैंने सदन का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया था कि जनहित से संबंधित अनेक मामले माननीय सदस्यों के द्वारा दिए गए हैं, जो मेरे समक्ष विचाराधीन हैं और कार्यसूची में पूर्व निर्धारित कार्य को लेना भी आवश्यक है और जो भी विषय लिए गए हैं, वे सब लोकहित के हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण हैं किन्तु प्रतिपक्ष के सदस्यों ने कार्यसूची में पूर्व से सम्मिलित महत्वपूर्ण विषयों को अनदेखा करते हुए स्थानीय निकायों के चुनावों के पश्चात् चुनाव की प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था से संबंधित विषय पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने हेतु ही अधिक जोर दिए और सभा से बहिर्गमन कर गए।

विधानसभा इस प्रदेश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था है। सदस्यों का यह दायित्व है कि वे जनहित से संबंधित समस्त मामले यहाँ उठायें, उन पर वाद-विवाद हो, चर्चा

हो और समस्याओं के हल के लिए कुछ प्रभावी निर्णय लिए जाएं। मेरी यह अपेक्षा है कि माननीय सदस्य अपने इस मूल दायित्व को स्मरण रखें। अभी प्रतिपक्ष का कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं है। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए मैंने 3.30 बजे का समय निर्धारित किया है, अत: सभा की कार्यवाही मैं 3.30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

अपराह्न 3.08 बजे सदन की कार्यवाही 3.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

3.34 बजे सभा की **कार्यवाही पुन: प्रारंभ हुई।**

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए)

12.व्यवस्था

स्थगन प्रस्ताव की चर्चा में प्रतिपक्ष के सदन में उपस्थित न होने पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी:-

मैंने माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि विधानसभा इस प्र देश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था है और सदस्यों का यह दायित्व है कि जनहित के समस्त मामले यहाँ उठायें और उन पर वाद-विवाद हो और समस्याओं के हल के लिए कुछ प्रभावी निर्णय लिए जाएं इसके साथ ही मैंने सभा की कार्यवाही स्थगन प्रस्ताव हेतु निर्धारित समय 3.30 बजे तक के लिए स्थगित की थी। मुझे अत्यंत दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि स्थगन प्रस्ताव जिसके संबंध में प्रतिपक्ष के सदस्यो ंने यह तर्क प्रस्तुत किया था कि जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है और इससे ज्यादा गंभीर विषय कुछ नहीं हो सकता और चर्चा तत्काल उसी समय कराने हेतु आग्रह किया था तथा पश्चात् सभा से बहिर्गमन किया था, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए प्रतिपक्ष का कोई भी स दस्य उपस्थित नहीं है।

मैं इस बात को समझने में असमर्थ हूं कि चर्चा यदि 3.30 बजे से ही होती, जैसा कि मैंने समय निर्धारित किया था और उसके पूर्व कार्यसूची के सभी कार्यों को संपादित कर लिया जाता, जैसा कि मैंने आज व्यवस्था में भी कहा है कि - समस्त कार्य जनहित के और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य थे तो स्थगन के विषय पर क्या तथ्यात्मक प्रभाव पड़ता?

वैसे तो लोकतांत्रिक प्रणाली में विरोध दर्ज कराने के लिए कार्यवाही का बहिष्कार सदस्यों का अधिकार है किन्तु सदस्यों के लिए विचारणीय यह भी है कि ऐसे अधिकार का प्रयोग कब और किन परिस्थितियों में किया जाए? मैं यह बिन्दु माननीय सदस्यों के विचार एवं विवेक के लिए छोड़ता हूं कि वे इस सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था के मंच का प्रयोग जनहित एवं लोकहित के कार्यों में किस प्रकार करना चाहते हैं।

अपराह्न 3.42 बजे विधानसभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 23 फरवरी, 2005 (फाल्गुन 4, 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

बुधवार, दिनांक 23 फरवरी, 2005

(फाल्गुन 4, 1926)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

कार्यवाही प्रारंभ होते ही माननीय श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने आसंदी से अनुरोध किया कि ि दनांक 22 फरवरी, 2005 को प्रस्तुत *जनप्रतिनिधियों को प्रताड़ित किए जाने* संबंधी स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर चर्चा कराई जाए।

सर्वश्री नंद कुमार पटेल, महेन्द्र कर्मा एवं सत्यनारायण शर्मा ने भी इसका समर्थन किया।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि दैनिक कार्यसूची में नियत विषय उसी दिन लिए जाते हैं, अगर अब फिर से किसी विषय पर चर्चा करानी है तो पुन: सूचना दिए जाने पर विचार किया जाएगा।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाए गए)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से माननीय अध्यक्ष ने प्रश्न संख्या 1 से 3 तक के सदस्यों के नाम अनुपूरक प्रश्न पूछने हेतु पुकारे, किन्तु माननीय सदस्यों ने पूरक प्रश्न नहीं किए एवं वे नारेबाजी करते रहे।

प्रश्न संख्या 5 पर श्री देवजी पटेल, सदस्य व्यवधान के कारण पूरक प्रश्न नहीं कर सके।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 6 तारांकित प्रश्न एवं 16 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(व्यवधान के कारण 11.17 बजे सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की गई , 11.31 बजे सदन की कार्यवाही पुन: प्रारंभ हुई)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए)

डॉ. शिवकुमार डहरिया, सदस्य ने श्री महेन्द्र कर्मा, सदस्य के स्थान पर अन्य सदस्य की जनप्रतिनिधियों को प्रताड़ित किए जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर चर्चा कराने की मांग की।

2. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - संसदीय लोकतंत्र में शासन की विधायिका के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रश्नकाल माननीय सदस्यों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराता है और उसके माध्यम से सदस्य सरकार को कठघरे में खड़ा कर सकते हैं। नियमों में प्रश्नकाल को स्थगित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए हमेशा प्रश्नकाल पूर्ण होने के उपरांत ही उस दिन के लिए नियत अन्य कार्यवाही ली जाती है। अगर आप सबको कोई विषय रखना भी है तो प्रश्नकाल के पश्चात् अपनी बात को कह सकते हैं और उन बातों पर नियम,

प्रक्रिया, परंपराओं से कैसे सदन को ठीक से चलाया जाए उस बारे में विचार किया जा सकता है और इसलिए कृपया मेरा अनुरोध है कि आप सब प्रश्नकाल चलने दें।

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने अन्य सदस्यों द्वारा दी गई सूचना पर चर्चा कराने की पुन: मांग की ।

3. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने पुन: व्यवस्था दी कि- विभिन्न स्थगन प्रस्तावों में जिन विषयों का उल्लेख किया गया है यदि वे मूल रूप से एक जैसे ही प्रश्न उठाती हों, तो उन पर प्रथम गृहीत प्रस्ताव में एक साथ चर्चा करने की अनुमति है। चूंकि सबका विषय एक ही था इसलिए उस विषय की महत्ता को समझते हुए उसे लिया गया। इसलिए मेरा फिर से आग्रह है कि सदन की कार्यवाही और प्रश्नकाल को चलने दें उसके बाद कोई बात होगी तो उस पर विचार किया जा सकता है।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाये गये।)

अत्यधिक व्यवधान के कारण 11.37 बजे सदन की कार्यवाही 12.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

12.00 बजे सदन की कार्यवाही पुन: प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए)

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्र मांक 5, सन् 1995) की धारा 80 की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना -

(1) क्रमांक एफ-10/6/2004/वाक/पांच (16), दिनांक 23 फरवरी, 2004 तथा,

(2) क्रमांक एफ-10/31/2004/वाक/पांच (75), दिनांक 06 अक्टूबर, 2004

पटल पर रखी।

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने गतिरोध को दूर कर स्थगन- प्रस्ताव पर तत्काल चर्चा कराने का अनुरोध किया ।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि प्रतिपक्ष के सदस्य पुन: सूचना दे दें, कल किसी भी समय निश्चित कर उस पर चर्चा कराई जा सकेगी।

सर्वश्री रविन्द्र चौबे, महेन्द्र कर्मा, धर्मजीत सिंह, सत्यनारायण शर्मा, सदस्य के स्थगन-प्रस्ताव की सूचना पर पुनर्विचार कर चर्चा कराने का अनुरोध किया1

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि सदन चूंकि संसदीय नियम, प्रक्रिया और परंपरा से चलता है, आसंदी के अधिकार सदन की परंपराओं और मर्यादाओं को उच्चतर बनाने के लिए हैं। सदन की भावना को पूरी तरह समाहित करते हुए मैं पुन: एक बार माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं, क्योंकि मेरे पास कोई स्थगन की सूचना विचाराधीन नहीं है, जिसे चर्चा हेतु ग्राह्य किया जाए। अब मेरा पुन: निवेदन है कि कोई नई सूचना स्थगन की दे दें, उस पर विचार कर लिया जायेगा।

5. बहिर्गमन

नेता प्रतिपक्ष (श्री महेन्द्र कर्मा) के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किए जाने से ध्यानाकर्षण, नियम 267-क के अधीन सूचनाएं तथा याचिकाएं प्रस्तुत नहीं की जा सकीं।)

6.वर्ष 2004-2005 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2004-2005 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

माननीय अध्यक्ष ने इस अनुपूरक अनुमान पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 24 फरवरी, 2005 की तिथि निर्धारित की ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किए जाने से छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे औद्योगिकीकरण से होने वाले जल एवं वायु प्रदूषण के कारण जन-जीवन को क्षति होने विषयक नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर भी चर्चा नहीं हो सकी।)

अपराह्न 12.14 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 24 फरवरी, 2005 (फाल्गुन 5, 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

○

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

○

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

गुरूवार, दिनांक 24 फरवरी, 2005

(फाल्गुन 5, 1926)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

कार्यवाही प्रारंभ होते ही सर्वश्री श्री भूपेश बघेल एवं रविन्द्र चौबे, सदस्य ने आसंदी से अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष के विधायकों पर प्रकरण दर्ज कर उन्हें प्रताड़ित किए जाने संबंधी स्थगन-प्रस्ताव पर प्रश्नकाल को स्थगित कर चर्चा कराई जाए।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रश्नकाल के महत्व को प्रतिपादित करते हुए स्थगन प्रस्ताव पर प्रश्नकाल के बाद चर्चा कराने का आग्रह किया।

सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, धर्मजीत सिंह, नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने नियमों को शिथिल कर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने का निवेदन किया।

1. व्यवस्था

सदन का निर्माण तमाम माननीय सदस्यों से होता है और इसलिए माननीय सदस्यों के सम्मान और उनकी सुरक्षा देखना भी महत्वपूर्ण। सदन की मान्य परंपराएं, संसदीय इतिहास में मील का पत्थर साबित होती है। अब यह माननीय सदस्यों को विचार करना है कि सदन की गरिमा से उपर उनकी गरिमा या मान-अपमान का प्रश्न है या विधानसभा की गरिमा सर्वोपरि है। प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर, जहाँ सदस्यों के पास सीधे जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही निश्चित करने का सुनहरा अवसर होता है लेकिन माननीय सदस्य अगर यह चाहते हैं कि प्रश्नकाल को स्थगित करके ही उनकी सूचनाओं को प्राथमिकता से लिया जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह माननीय सदस्यों के स्वयं के विवेक पर भी है कि वे प्रश्न की तुलना में किसे कितना महत्वपूर्ण समझते हैं।

श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी से पुन: अनुरोध किया कि माननीय सदस्यों के मान-सम्मान को सदन की गरिमा से पृथक करके न देखते हुए विचाराधीन स्थगन प्रस्ताव पर तत्काल चर्चा करायें।

माननीय अध्यक्ष ने प्रश्नकाल स्थगित कर स्थगन-प्रस्ताव पर चर्चा कराने हेतु सदन का मत लिया।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान नहीं की गई।)

श्री गणेश शंकर बाजपेयी, सदस्य ने आसंदी से अनुरोध किया कि इस विषय पर बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाना उचित नहीं होगा।

माननीय अध्यक्ष ने प्रश्नकाल स्थगित कर स्थगन-प्रस्ताव पर चर्चा कराने के संबंध में सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों से अपने विचार व्यक्त करने का आग्रह किया।

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने इस विचार के पक्ष एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल, गृहमंत्री ने विपक्ष में अपना मत व्यक्त किया।

सवश्री सत्यनारायण शर्मा, धर्मजीत सिंह, नंद कुमार पटेल, सदस्य ने भी प्रश्नकाल स्थगित करने का समर्थन किया।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने कौल एण्ड शकधर पुस्तक से व्यवस्था उद्धरित की कि, "ऐसे भी मौके आये हैं जब अध्यक्ष प्रश्नकाल निलंबित करने के लिए सहमत नहीं हुए अथवा उन्होंने किसी ि दन प्रश्नकाल समाप्त करने के लिए किसी सदस्य को व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी" अर्थात् व्यवस्था का प्रश्न भी प्रश्नकाल में उठाने का अवसर नहीं दिया जाता। उसके बाद भी यदि अवसर दिया जाता है तो मैं पूरे पक्ष की ओर से कहना चाहता हूं कि हमको इस सदन में एक अच्छी परंपरा कायम करने का प्रयास करना चाहिए।

2. व्यवस्था

माननीय सदस्यों द्वारा यहाँ बार-बार इस बात की दलील दी गई कि आसंदी के पास असीि मत अधिकार होते हैं किन्तु मेरा यह मानना है कि आसंदी को जो भी अधिकार प्राप्त हैं वह इस स दन की उच्च परंपराओं को बनाये रखने के लिए हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, सदन सदस्यों से बना है और इसलिए किसी भी बात का निर्णय करने के लिए सदस्यों की सहमति, असहमति आवश्यक है। विधानसभा के संचालन संबंधी नियम प्रक्रिया का निर्माण इस सदन के माध्यम से ही हुआ है। आसंदी के पास जितने भी असीमित अधिकार हैं, वे भी सदन के द्वारा ही प्रदत्त हैं। और इसलिए नियम-प्रक्रियाओं, परंपराओं के संसदीय इतिहास में प्रश्नकाल को महत्वपूर्ण माना जाता है इसलिए प्रश्नकाल को अगर स्थगित करने की आवश्यकता है तो उसके लिए मैंने सदन की सहमति जाननी चाही। यह निश्चित है कि लोकतंत्र में सदन में बहुमत सत्तापक्ष का है तथापि माननीय स दस्यों के उपर लगाये गये आरोपों के आधार पर उसकी गंभीरता को स्वीकारते हुए मैंने पहले ही ि दन स्थगन सूचना ग्राह्य कर के समय निर्धारित किया था। उस दिन भी मैं इस बात को समझ पाने में असमर्थ रहा कि यदि उस निश्चित समय पर यह चर्चा हो जाती तो उससे चर्चा में तथ्यात्मक परिवर्तन किस आधार पर होता यह मानते हुए कि परंपराओं का निर्वहन करना, उनका निर्माण करना और उनको बनाये रखना हम सबका कर्तव्य है और उसमें आप सब और हम सब सहभागी हैं। सवाल समय का नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा यह बात भी आई कि प्रश्नकाल का अधिकांश समय हम इस चर्चा में निकाल दिए कि प्रश्नकाल को स्थगित किया जाए अथवा नहीं किया जाए, लेकिन संसदीय इतिहास में सदन चर्चाओं के माध्यम से ही आने वाले समय के लिए ऐसे उदाहरण और दृष्टांत छोड़ जाते हैं जिससे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वह अनुकरणीय हो और उसी रास्ते पर सारे लोग चलते हैं। प्रश्नकाल को स्थगित करने के लिए विपक्ष के सारे माननीय सदस्य लगातार तीन दिनों से आग्रह कर रहे हैं। सूचना पर चर्चा के लिए उनका आग्रह इतना ज्यादा है, इसलिए इसे परंपरा के रूप में न देखा जाए और आने वाले समय में कोई नजीर न बने कि प्रत्येक मामले में प्रश्नकाल को स्थगित किया जाए इसलिए आज विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए मैं प्रश्नकाल को स्थगित कर स्थगन की सूचना लेता हूं ।

3.स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष ने प्रदेश के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दायर मामले वापस लेने तथा जनप्रतिनिधियों को प्रताड़ित किए जाने संबंधी सर्वश्री महेन्द्र कर्मा, रविन्द्र चौबे, भूपेश बघेल, धर्मजीत सिंह, सत्यनारायण शर्मा, उदय मुदलियार, योगेश्वर राज सिंह, ताम्रध्वज साहू, डॉ. हरिदास भारद्वाज, नंद कुमार पटेल, राजकमल सिंघानिया, कवासी लखमा, धनेन्द्र साहू, गणेश शंकर

बाजपेयी, डॉ. शिवकुमार डहरिया, मोहम्मद अकबर, गुलाब सिंह, रामपुकार सिंह, अमरजीत भगत, डॉ. शक्राजीत नॉयक से प्राप्त सूचनाओं में से श्री महेन्द्र कर्मा सदस्य की सूचना पढ़ी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, गृहमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया:-

ग्राह्यता के पक्ष में - सर्वश्री रविन्द्र चौबे, भूपेश बघेल, धर्मजीत सिंह, सत्यनारायण शर्मा, उदय मुदलियार, ताम्रध्वज साहू, डॉ. हरिदास भारद्वाज, नंद कुमार पटेल, राजकमल सिंघानिया, कवासी लखमा, धनेन्द्र साहू, डॉ. शक्राजीत नायक, गणेश शंकर बाजपेयी, डॉ. शिवकुमार डहरिया, मोहम्मद अकबर, गुलाब सिंह, अमरजीत भगत, नोवेल कुमार वर्मा, महेन्द्र कर्मा एवं

ग्राह्यता के विपक्ष में - सर्वश्री देवलाल दुग्गा, इंदर चोपड़ा, डॉ. बालमुकुंद देवांगन, विनोद खांडेकर, देवजी पटेल ने भाग लिया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, गृहमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का उत्तर सुनने के पश्चात् स्थगन-प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

4.बहिष्कार/बहिर्गमन

नेता प्रतिपक्ष (श्री महेन्द्र कर्मा) ने व्यक्त किया कि अध्यक्ष महोदय ने इस संवेदनशील मुद्दे पर परंपरा से हटकर चर्चा कराई, लेकिन प्रतिपक्ष के विधायकों पर जो असत्य प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जब तक उनका युक्तियुक्त निराकरण नहीं हो जाता तब तक उनका दल सदन की शेष बैठकों के प्रश्नकाल को छोड़कर शेष कार्यवाही का बहिष्कार करता है।

(नेता प्रतिपक्ष (श्री महेन्द्र कर्मा) के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा प्रतिपक्ष के विधायकों पर दर्ज प्रकरणों को वापस न लिए जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

5.राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयक

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - द्वितीय विधानसभा के नवंबर-दिसंबर, 2004 सत्र में पारित विधेयकों में से 17 विधेयकों पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त होने का विवरण सदन के पटल पर दिनांक 21 फरवरी, 2005 को रखा गया था, उसी क्रम में दो अन्य विधेयको पर भी महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है, जिसे सचिव, विधानसभा पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधानसभा ने अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्र.-30-क की अपेक्षानुसार द्वितीय विधानसभा के नवंबर-दिसंबर, 2004 सत्र में पारित विधेयकों में से -

1. छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2004

(क्र. 25 सन् 2004) तथा

2. छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्र. 31 सन् 2004)

पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है, को पटल पर रखा।

6.प्रतिवेदन की प्रस्तुति

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री भरत साय, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

प्रतिवेदन इस प्रकार है:-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 25 फरवरी, 2005 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की :-

०	अशासकीय संकल्प क्र मांक	सदस्य का नाम	समय
1.	(क्रमांक - 10)	श्री धर्मजीत सिंह	1 घंटा
2.	(क्रमांक - 4)	डॉ. हरिदास भारद्वाज	45 मिनट
3.	(क्रमांक - 15)	श्री उदय मुदलियार	45 मिनट

श्री भरत साय, सभापति ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों त था संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2.03 से 3.01 बजे तक का अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए)

7.ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि आज की कार्यसूची में उल्लिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं कल ली जायेंगी।

8.वर्ष 2004-05 के द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उस पर एक साथ चर्चा होती है अत: मैं माननीय वित्त मंत्री से कहूंगा कि वे सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत कर दें।

इस संबंध में सदन की सहमति चाही गई।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या- 1, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 55, 56, 58, 64, 65, 66, 69, 75, एवं 80 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर पांच सौ बयालीस करोड़, इंक्यानबे लाख, चवालीस हजार, आठ सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यो ंने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री नोवेल कुमार वर्मा, देवजी भाई पटेल, दयाल दास बघेल, डॉ. त्रिविक्रम भोई , अघन सिंह ठाकुर।

श्री अमर अग्रवाल, वित्तमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

९.शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -01) विधेयक, 2005 पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -01) विधे्यक, 2005 पर विचार किया जाए।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधे्यक पर खंडश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची विधेयक के अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -01) विधेयक, 2005 पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

4.18 बजे सायं विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 25 फरवरी, 2005 (फाल्गुन 6, शक् सम्वत् 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

शुक्रवार, दिनांक 25 फरवरी, 2005

(फाल्गुन 6, 1926)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 1 से 10 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संक्या 7 पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 16 तारांकित प्रश्न एवं 21 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3.बहिष्कार

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा प्रतिपक्ष के विधायकों पर दर्ज असत्य प्रकरणों के वापस लेने संबंधी एवं सरकार विरोधी नारे लगाये गये, तत्पश्चात् सदन का बहिष्कार किया गया।

4. ध्यानाकर्षण

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में 7 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को ध्यान में रखते हुए सम्मिलित किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138(3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्र मशः प्रथम चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

इस संबंध में सदन की सहमति चाही गई।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

पहले क्रमांक 1 से 4 तक की सूचनाएं ली जावेंगी।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सदन का बहिष्कार किए जाने से उनसे संबंधित उपर्युक्त ध्यानाकर्षण सूचनाएं नहीं ली जा सकीं।)

माननीय अध्यक्ष ने कार्यसूची के पद 2 के उप पद (5) से (7) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारे गए।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों के बहिष्कार के कारण उनसे संबंधित उक्त ध्यानाकर्षण त था नियम 267-क के अंतर्गत सूचनाएं प्रस्तुत नहीं हुई।)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सदन के बहिष्कार पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स दस्य श्री नोवेल कुमार वर्मा ने उक्त दल के सदस्यों पर दर्ज प्रकरण वापस लेने का अनुरोध किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, गृह मंत्री ने आग्रह किया कि प्रकरणों के संबंध में कोई भी निर्णय संबंधित विवेचनाधिकारी ही ले सकते हैं। अतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों को लोकहित के मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए सदन में उपस्थित रहना चाहिए।

5. विधायक क्लब का गठन

माननीय अध्यक्ष ने सदन में घोषणा की कि -

छत्तीसगढ़ विधानसभा में माननीय सदस्यों के मनोरंजन एवं अन्य गतिविधियों हेतु वर्ष 2005-2006 के लिए विधायक क्लब का गठन किया गया है, जिसके सदस्य निम्नानुसार हैं :-

1.	डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री	कार्यकारी अध्यक्ष
2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल, गृहमंत्री	उपाध्यक्ष
3.	श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष	उपाध्यक्ष
4.	श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री	कोषाध्यक्ष
5.	श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री	सदस्य
6.	श्री रामविचार नेताम, आदिम जाति कल्याण मंत्री	सदस्य
7.	श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री	सदस्य
8.	सुश्री लता उसेण्डी	सदस्य
9.	श्री विजय अग्रवाल	सदस्य
10.	श्री देवजी पटेल	सदस्य
11.	श्री रविन्द्र चौबे	सदस्य
12.	श्री सत्यनारायण शर्मा	सदस्य
13.	श्री देवव्रत सिंह	सदस्य
14.	श्री भूपेश बघेल	सदस्य
15.	श्री धर्मजीत सिंह	सदस्य
16.	श्री मो. अकबर	सदस्य
17.	कु. कामदा जोल्हे	सदस्य

माननीय अध्यक्ष विधानसभा विधायक क्लब के अध्यक्ष एवं श्री देवेन्द्र वर्मा, सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा विधायक क्लब के पदेन सचिव होंगे।

6. माननीय सदस्यों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण तथा लेपटाप का प्रदाय

माननीय अध्यक्ष ने सदन में यह घोषणा की, कि माननीय सदस्यों को कम्प्यूटर का समुचित प्रशिक्षण दिये जाने हेतु विधानसभा सचिवालय द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की संस्था **चिप्स** के सहयोग से रविवार, दिनांक 27 फरवरी, 2005 को अपराह्न 2.30 बजे से 5.00 बजे तक विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 में समस्त माननीय सदस्यों के लिए कम्प्यूटर के सैद्धांतिक (थ्योरी) प्रशिक्षण के द्वितीय सत्र का आयोजन किया जा रहा है।

माननीय सदस्यों की उपस्थिति अपेक्षित है।

माननीय सदस्यों को लेपटाप प्रदाय किए जा रहे हैं। माननीय सदस्य सचिवालय द्वारा अधिकृत तीन कंपनियों में से किसी भी एक कंपनी का लेपटाप अपनी रूची के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। सदस्यों की सुविधा हेतु सेक्टर-सी स्थित सदस्यों के भोजन कक्ष में तीनों अधिकृत संस्थानों के प्रतिनिधि लेपटाप के प्रदर्शन एवं अन्य समस्त जानकारी प्रदान करने के लिये आज एक बजे से उपलब्ध रहेंगे । माननीय सदस्य सेक्टर-सी के सदस्य भोजन कक्ष में इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं ।

7.व्यवस्था

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा प्रतिपक्ष के सदस्यों पर दर्ज प्रकरण शासन द्वारा वापस न लिये जाने के विरोध में उनके द्वारा प्रश्नकाल को छोड़कर सदन की शेष कार्यवाही का लगातार बहिष्कार किए जाने पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि-

वर्तमान बजट सत्र का आज पांचवा दिन है । बजट सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र होता है क्योंकि इसमें न केवल महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से सरकार आगामी वर्ष में किए जाने वाले कार्यों, योजनाओं का लेखा-जोखा सभा के समक्ष रखती है, जिस पर माननीय सदस्य चर्चा करते हैं और साथ ही आगामी वर्ष के आय-व्यय का विवरण भी रखा जाता है और सभा सम्पूर्ण विचार-विमर्श के पश्चात् सरकार को आगामी वर्ष में कार्य करने हेतु धन उपलब्ध कराती है। ऐसे महत्वपूर्ण सत्र का आज पांचवा दिन है और विगत तीन दिनों में सभा अपना कार्य उस तरह से स म्पादित नहीं कर सकी, जिसकी अपेक्षा इस प्रदेश की 2 करोड़ जनता को है।

सदन को स्मरण होगा कि मैंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात् हुई प्रथम बैठक में ही परम्पराओं से हटकर जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने को आधार बनाकर पृथक-पृथक प्राप्त स्थगन प्रस्ताव को सभा में ग्राह्य कर चर्चा हेतु समय नियत किया था। आसंदी का इसके पीछे उद्देश्य यह था कि इस प्रदेश में जनप्रतिनिधियों के साथ किसी भी प्रकार का असम्मानजनक व्यवहार न हो और यदि कहीं कुछ ऐसा घटित हुआ भी है तो वह इस सदन के स मक्ष आए और यह सदन उस पर पर्याप्त विचार-विमर्श करे। किन्तु मुझे दुःख है कि स्थगन प्रस्ताव

को चर्चा हेतु आसंदी द्वारा ग्राह्य किए जाने एवं समय नियत करने के पश्चात् भी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य चर्चा के लिए निर्धारित समय पर सदन में उपस्थित नहीं थे और उन्होंने सदन का बहिष्कार कर दिया था।

दिनांक 23 फरवरी, 2005 को भी माननीय सदस्यों ने इसके बावजूद कि वे दिनांक 22 फरवरी, 2005 को ग्राह्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हेतु निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं हुए थे उन्होंने पुनः स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हेतु आसंदी से आग्रह किया। सदन को स्मरण होगा कि मैंने तत्समय व्यवस्था दी थी कि मेरे समक्ष कोई सूचना लम्बित नहीं है और जो सूचनाएं माननीय सदस्यों द्वारा दी गई थीं, वे दिनांक 22 फरवरी को ग्राह्य कर ली गई थीं, अतः यदि माननीय सदस्य इस मामले को फिर से सभा में लाना चाहते हैं तो वे फिर सूचना दें तथा मैं उस पर विचार करूँगा और किसी-न-किसी प्रकार से मैं सभा में लूंगा। मैंने यह व्यवस्था यह जानते हुए दी थी कि नियमों एवं परम्पराओं में सभा में एक बार जो विषय चर्चा के लिए ले लिया जाता है, उसी विषय पर दुबारा कोई सूचना ग्राह्य नहीं होती तथापि प्रतिपक्ष की भावनाओं का ध्यान रखते हुए तथा संरक्षण देते हुए मैंने परम्पराओं से हटकर यह निर्णय लिया था।

प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने दिनांक 24 फरवरी को पुनः उसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं दीं तथा प्रश्नकाल आरंभ होते ही उन्होंने पुनः सूचना पर प्रश्नकाल रोककर चर्चा हेतु आग्रह किया। मैंने सभा को तब यह आश्वस्त किया था कि मैं प्रश्नकाल के पश्चात् इसे लूँगा किन्तु प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य प्रश्नकाल स्थगित करके ही इस सूचना को लेने हेतु आग्रह करते रहे।

मैं यहाँ यह तथ्य भी रखना चाहूँगा कि सभा का कार्य नियम एवं परम्पराओं के आधार पर चलता है और आसंदी द्वारा जो निर्णय लिये जाते हैं, वे सामान्यतः सभा की सहमति एवं सभा की राय के अनुसार ही लिये जाते हैं। मैंने यह प्रश्न सभा के समक्ष भी रखा था कि क्या प्रश्नकाल को स्थगित कर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की जाए ? और सभा की राय क्या थी इस बात से आप सभी अवगत हैं ? किन्तु सभा में अनेक ऐसे अवसर उपस्थित होते हैं, जब प्रतिपक्ष जो कि अल्पमत में होता है, की भावनाओं का सम्मान करने के लिए अध्यक्ष को अपने अन्तर्निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रतिपक्ष के मत को सम्मान एवं संरक्षण देना पड़ता है ताकि बहुमत के आगे अल्पमत की आवाज को महत्व नहीं दिया जा रहा है, ऐसी ध्वनि न जाए। मैंने समस्त नियमों को शिथिल कर एवं परम्पराओं से अलग हटकर प्रश्नकाल स्थगित कर स्थगन की ग्राह्यता पर सदन का मत लेने हेतु सभा के समक्ष स्थगन प्रस्ताव रखा और सदस्यों ने विस्तार से अपनी बात सभा में रखी।

आज मुझे यह कहते हुए अत्यंत दुःख और पीड़ा हो रही है कि जिस उद्देश्य एवं भावना के अंतर्गत मैंने प्रतिपक्ष का सम्मान करते हुए नियम एवं स्थापित परम्परा से हटकर प्रश्नकाल को स्थगित किया तथा जिस सदाशयता से मेरे निर्णय को सदन ने मान्य किया ताकि इस सभा का कार्य

निर्बाध रूप से इस प्रदेश की दो करोड़ जनता के हित में जारी रह सके, माननीय सदस्यगण अपनी भावनाओं को यहाँ प्रकट कर सकें, वित्तीय, विधायी एवं अन्य कार्य यहाँ सुचारू रूप से सम्पन्न हो सकें।

उपरोक्त के बावजूद प्रतिपक्ष ने सभा की कार्यवाही के बहिष्कार का जो निर्णय लिया, उस पर प्रतिपक्ष विचार करे कि वह कहाँ तक उचित है। सभा की कार्यवाही से बहिर्गमन करना संसदीय लोकतंत्र में सदस्यों का अधिकार है किन्तु इस अधिकार का उपयोग कब और कैसे किया जाए तथा कहीं अधिकार के उपयोग में कर्त्तव्यों का सम्पादन तो प्रभावित नहीं हो रहा है, यह बिन्दु मैं प्रतिपक्ष के सदस्यों पर ही छोड़ता हूँ।

संसदीय प्रजातंत्र में सभा में पक्ष एवं प्रतिपक्ष अपनी-अपनी भूमिकाओं का निर्वाह मान्य पर म्पराओं के अनुरूप करेंगे, तब ही प्रजातंत्र पुष्पित एवं पल्लवित होगा और इस सभा के माध्यम से इस प्रदेश की दो करोड़ जनता का हित संवर्धित होगा। मैं प्रतिपक्ष के सदस्यों से पुनः अपील करता हूँ कि वे प्रश्नकाल के पश्चात् सभा की कार्यवाही के बहिष्कार के निर्णय पर पुनर्विचार करें और स दन की कार्यवाही में हिस्सा लें।

आज की कार्यसूची में अब प्रतिपक्ष के सदस्यों का अशासकीय कार्य ही शेष है और उन्होंने स दन की कार्यवाही का बहिष्कार किया हुआ है, अतः मैं सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 28 फरवरी, 2005 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

अपराह्न 12.18 बजे विधानसभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 28 फरवरी, 2005 (फाल्गुन 9, शक संवत 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

सोमवार, दिनांक 28 फरवरी, 2005

(फाल्गुन 9, 1926)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 (कुल 15 प्रश्नों) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 13 तारांकित प्रश्न एवं 17 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिष्कार

प्रतिपक्ष के सदस्यों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों पर दर्ज असत्य प्रकरणों को सरकार द्वारा वापस न लिए जाने के संबंध में सरकार विरोधी नारे लगाते हुए श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सदन का बहिष्कार किया गया।

3. ध्यानाकर्षण-सूचना

श्री देवजी पटेल, सदस्य ने औद्योगिक क्षेत्र उरला, सिलतरा स्थित उद्योगों द्वारा प्रदूषण फैलाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यानाकर्षित किया।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4.नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. श्री देवजी पटेल, सदस्य ने धरसींवा के विकासखंड तिल्दा के अंतर्गत आने वाले सोमनाथ मंदिर को पर्यटन स्थल का दर्जा दिये जाने तथा,

2. श्रीमती रमशीला साहू, सदस्य ने दुर्ग जिले की चौरेल (पैरी) देवस्थल को संस्कृति एवं पर्यटन विभाग द्वारा विकसित कर पर्यटन स्थल बनाये जाने के संबंध में शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों के सदन के बहिष्कार के कारण उनसे संबंधित ध्यानाकर्षण एवं नियम 267-क के अंतर्गत सूचनाएं प्रस्तुत नहीं हुई।)

5. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव के संबंध में श्री बद्रीधर दीवान, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय ने सदन को सूचित किया कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में 14 माननीय सदस्यों के संशोधनों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उनमें से जो संशोधन नियमानुसार नहीं थे, मैंने उन्हें अग्राह्य कर दिया है, संशोधन बहुत बड़े-बड़े हैं, मैं पूरे संशोधनों को नहीं पढ़ूगा, केवल संशोधन प्रस्तुतकर्ता सदस्यों के नाम तथा संशोधन संख्या को ही पढ़ूंगा। जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित होंगे उनके ही संशोधन प्रस्तुत हुए माने जायेंगे:-

	सदस्य का नाम	संशोधन संख्या
1.	श्री महेन्द्र कर्मा	3
2.	श्री रविन्द्र चौबे	22
3.	श्री सत्यनारायण शर्मा	19
4.	श्री नंदकुमार पटेल	44
5.	श्री भूपेश बघेल	5
6.	श्री बोधराम कंवर	14
7.	डॉ. शिवकुमार डहरिया	4
8.	डॉ. चेतन वर्मा	10
9.	श्री राजकमल सिंघानिया	18
10.	श्री गणेश शंकर बाजपेयी	5
11.	श्री रामपुकार सिंह	5
12.	महंत रामसुंदर दास	63
13.	श्री देवव्रत सिंह	9
14.	डॉ. हरिदास भारद्वाज	29

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री बद्रीधर दीवान, सदस्य द्वारा प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्तुतकर्ता सदस्य सदन में उपस्थित नहीं है, अत: संशोधन प्रस्तुत हुए नहीं माने जायेंगे। अब महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

सर्वश्री देवलाल दुग्गा, विजय अग्रवाल।

(1.32 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री चंदूलाल साहू, त्रिलोचन पटेल, श्रीमती पिंकी ध्रुव, अघन सिंह ठाकुर, नोवेल कुमार वर्मा,

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए।)

डॉ. सुभाउ कश्यप।

(चर्चा अपूर्ण)

सायं 5.30 बजे विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 01 मार्च, 2005 (फाल्गुन 10, शक् सम्वत् 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

○

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

○

मंगलवार, दिनांक 01 मार्च, 2005
(फाल्गुन 10, 1926)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 (कुल 11 प्रश्नों) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या -1 पर चर्चा के दौरान श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध मे सदन से बहिर्गमन किया गया।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 25 तारांकित एवं 25 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. बहिष्कार

प्रतिपक्ष के सदस्यों पर दर्ज असत्य प्रकरणों को वापस लेने की मांग तथा सरकार विरोधी नारे लगाते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यो द्वारा सदन का बहिष्कार किया गया।

4.नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. श्रीमती रमशीला साहू, सदस्य ने ग्राम तवेरा-खपरी किलेपार में संयुक्त रूप से नल जल योजना की स्वीकृति प्रदान किए जाने, तथा
2. श्री लच्छुराम कश्यप, सदस्य ने चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में लो-वोल्टेज की समस्या होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सदन के बहिष्कार के कारण उनसे संबंधित ध्यानाकर्षण एवं नियम 267-क केअंतर्गत सूचनाएं प्रस्तुत नहीं हुईं।)

5. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री बद्रीधर दीवान, सदस्य द्वारा प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर पुनर्ग्रहीत चर्चा में कु. रोज़लिन बेकमेन, नाम-निर्दिष्ट सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ. बालमुकुंद देवांगन, कु. कामदा जोल्हे, श्रीमती रमशीला साहू,

(चर्चा अपूर्ण)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

6. व्यवस्था

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सदन के निरंतर बहिष्कार पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि -

पंचायत चुनाव के दौरान विधि की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत हुई कार्यवाही को आधार बनाकर प्रतिपक्ष द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण के बाद प्रथम दिन से ही सभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया जा रहा है। मैंने इस संबंध में पूर्व में भी सभा को अवगत कराया है कि आसंदी के द्वारा प्रतिपक्ष को सभा में उनके मामले, उनके चाहे अनुसार तथा परंपराओं एवं नियमों से अलग हटकर अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उठाने का अवसर दिया। पश्चात् शासन से संवाद कायम करने और शासन एवं प्रतिपक्ष के बीच कुछ सर्वमान्य हल निकालने हेतु भी मैंने दोनों ही दलों के सदस्यों से चर्चा की किन्तु मुझे खेद है कि स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ पाया है और प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सभा की कार्यवाही का बहिष्कार निरंतर जारी है।

संसदीय प्रजातंत्र का मूलाधार संवाद के द्वारा समस्याओं का हल निकालना है, संवादहीनता अथवा संवाद से हल नहीं निकले, इस स्थिति को मैं सुखद नहीं मानता। यह बजट सत्र है, जिसमें प्रदेश का वर्ष 2005-2006 का बजट प्रस्तुत किया जायेगा और सदस्य इस पर चर्चा करेंगे तथा प्रदेश के विकास की राह क्या और कैसी हो, पर अपने विचार व्यक्त करेंगे।

मेरा मत है कि ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर प्रतिपक्ष को सभा में उपस्थित रहना चाहिए और प्रदेश के विकास में अपनी सहभागिता निभानी चाहिए। सभा के बाहर हुई किसी घटना को आधार बनाकर विरोध दर्ज करना उपयुक्त है किन्तु विरोध करने के उद्देश्य से प्रदेश के विकास पर विचार-विमर्श नहीं करना, मैं मानता हूं कि उचित नहीं है और प्रतिपक्ष के सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे।

मैं प्रतिपक्ष के सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं कि वे सभा में बजट भाषण एवं उसके पश्चात् बजट पर सामान्य चर्चा एवं मांगों पर चर्चा में हिस्सा लें, सभा में उपस्थित हो और सभा की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करें।

(1.27 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

7. वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक का उपस्थापन

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक का उपस्थापन किया।

माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 3, 4 एवं 7 मार्च, 2005 की तिथियाँ आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिए नियत की गई। माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा की गई कि आय-व्ययक में सम्मिलित मांगों पर प्रस्तुत किए जाने वाले कटौती प्रस्तावों की सूचना दिनांक 2 मार्च को अपराह्न 4.00 बजे तक विधानसभा सचिवालय में दी जा सकती है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।

अपराह्न 3.48 बजे विधानसभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 02 मार्च, 2005 (फाल्गुन 11, शक् सम्वत् 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

बुधवार, दिनांक 02 मार्च, 2005

(फाल्गुन 11, 1926)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या-1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 (कुल 7 प्रश्नों) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

2. बहिर्गमन

बिलासपुर जिले में घटित विभिन्न आपराधिक घटनाएं, संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या -2 पर चर्चा के दौरान श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 16 तारांकित एवं 22 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. बहिष्कार

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा प्रतिपक्ष के विधायकों पर दर्ज असत्य प्रकरणों को सरकार द्वारा वापस न लिए जाने के संबंध में सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन का बहिष्कार किया गया।

4.ध्यानाकर्षण- सूचना

श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने प्रदेश की नाबालिग आदिवासी बालिकाओं को प्रदेश से बाहर ले जाने के संबंध में गृह मंत्री का ध्यानाकर्षित किया।

गृहमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों के बहिष्कार के कारण उनसे संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना प्रस्तुत नहीं हुई।)

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए)

5.नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. श्री लच्छुराम कश्यप, सदस्य ने चित्रकोट विकासखंड के अंतर्गत खनिजों का अवैध उत्खनन होने तथा

2. श्रीमती रमशीला साहू, सदस्य ने दुर्ग जिले में किसानों के पास बीजों का अभाव, चारे की समस्या तथा शासन से राहत राशि न मिलने के संबंध में,

शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं।

6.याचिकाओं की प्रस्तुति

1. कु. कामदा जोल्हे, सदस्य ने सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र के -

(क) ग्राम कपिस्दा से अमलीडिया तक सड़क, लात नाला में पुलिया निर्माण

(ख) ग्राम अण्डोला और पाठ मार्ग पर स्थित सक्राम नाला में पुलिया निर्माण कराने,

2. श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के -

(क) उरला, सिलतरा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने,

(ख) धरसींवा में महाविद्यालय प्रारंभ कराने,

(ग) ग्राम सिलयारी में डॉ. खूबचंद हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन का मरम्मत/पुननिर्माण कराने तथा

3. श्री लच्छुराम कश्यप, सदस्य ने चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के -

(क) ग्राम ककनार, विकासखंड लौहण्डीगुडा जिला बस्तर में पुलिस चौकी खोलने,

(ख) विकासखंड लौहण्डीगुडा के चित्रकोट जल प्रपात में पुलिस सहायता केन्द्र स्थापित कराने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत कीं

7. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमश:)

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री बद्रीधर दीवान, सदस्य द्वारा प्रस्तुत कृतज्ञताा ज्ञापन प्रस्ताव पर पुनर्ग्रहीत चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

सर्वश्री दयालदास बघेल, सिद्धनाथ, कमलभान सिंह, राजशरण भगत, बैदूराम कश्यप, संजय ढ़ीढ़ी,

(1.30 से 3.02 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

श्री देवजी पटेल।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर मत लिया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. घोषणा

सदस्य परिचय (द्वितीय) पुस्तक का प्रकाशन

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की, कि द्वितीय विधानसभा के माननीय सदस्यों की परिचय पुस्तक मुद्रण की अंतिम स्थिति में है। माननीय सदस्यों से दिनांक 28 फरवरी, 2005 को दो दिवस की अवधि देते हुए अंतिम रूप से मुद्रित की जाने वाली जानकारी को अनुमोदित कर अथवा उसमें कुछ संशोधन हो तो, संशोधित कर सचिवालय में वापस करने हेतु अनुरोध किया गया था।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि यदि वे मुद्रित की जाने वाली सामग्री में किसी भी प्रकार का संशोधन करना चाहते हों तो दिनांक 3 मार्च, 2005 को सायं 4.00 बजे से पूर्व आवश्यक रूप से सचिवालय को सूचित कर दें अन्यथा स्थिति में उन्हें प्रदाय की गई जानकारी उनके द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित मानी जाकर पुस्तक का मुद्रण करा लिया जायेगा।

सायं 4.36 बजे विधानसभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 03 मार्च, 2005 (फाल्गुन 12, शक् सम्वत् 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

गुरूवार, दिनांक 03 मार्च, 2005

(फाल्गुन 12, 1926)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या-1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (कुल 12 प्रश्नों) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

2. बहिर्गमन

बिलासपुर के श्रीकान्त वर्मा मार्ग पर बगैर नोटिस के झोंपड़ियां तोड़ने की कार्यवाही संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या 9 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 18 तारांकित एवं 20 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

प्रश्नकाल समाप्त होते ही श्री बृजमोहन अग्रवाल, गृहमंत्री ने आसंदी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि झारखंड प्रदेश में हाल ही में हुए आम चुनाव में प्रमुख दावेदार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को सरकार बनाने का अवसर न देकर देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है।

सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं केन्द्र सरकार विरोधी नारे लगाए गए।

इसके प्रत्युत्तर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा भारतीय जनता पार्टी विरोधी नारे लगाए गए।

व्यवधान होने से 12.03 बजे सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की गई। 12.15 बजे सभा की कार्यवाही पुन: प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

सत्तापक्ष एवं विपक्ष झारखंड की राजनैतिक स्थिति पर परस्पर विरोधी नारेबाजी करते रहे।

अत्यधिक व्यवधान के कारण 12.17 बजे सदन की कार्यवाही 3.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

(12.17 से 3.01 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं केन्द्र सरकार विरोधी नारेबाजी जारी रही।

लगातार व्यवधान रहने से अपराह्न 3.04 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 04 मार्च, 2005 (फाल्गुन 13, शक् सम्वत् 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

शुक्रवार, दिनांक 04 मार्च, 2005

(फाल्गुन 13, 1926)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

कार्यवाही प्रारंभ होते ही डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि प्रतिपक्ष के विधायकों पर दर्ज प्रकरणों को लेकर उनके द्वारा किया जा रहा गतिरोध अब दूर हो, क्योंकि शासन ने विपक्ष की सहमति से विधायकों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराकर दोषियों पर कार्यवाही करने का निर्णय लेकर समस्या का समाधान ढूढ़ने का प्रयास किया है। अत: जनादेश के सम्मान में समस्त सदस्य जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए सदन की कार्यवाही में भाग लें।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने मुख्यमंत्री की घोषणा से सहमत होते हुए प्रतिपक्ष के द्वारा जारी गतिरोध दूर करते हुए सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने की सहमति व्यक्त की।

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या- 2 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

डॉ. चेतन वर्मा, सदस्य ने आसंदी का ध्यान सदन के साउण्ड सिस्टम में खराबी आने की ओर आकृष्ट किया।

साउण्ड सिस्टम में सुधार किए जाने की दृष्टि से माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से स दन की कार्यवाही आधा घंटा आगे बढ़ाने की घोषणा की ।

11.12 बजे सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की गई।

11.41 बजे सभा की कार्यवाही पुन: प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर हैंग होने से साउंड सिस्ट म में व्यवधान हुआ था, अब साउंड सिस्टम मेनुअली ऑपरेट होगा तथा सदस्यों के नाम भी डिस्प्ले बोर्ड पर डिस्प्ले नहीं होंगे। सभी सदस्य बोलने से पहले माईक ऑन करें।

तारांकित प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 6 एवं 8 (कुल 6 प्रश्नों) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उ त्तर दिए गए।

2. बहिर्गमन

राज्य शासन द्वारा 87 ब्लाकों को सूखाग्रस्त घोषित करने के बाद प्रारंभ किए गए रोजगार मूलक कार्य संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या-03 एवं राज्य के तहसील व जिलों को सूखा/अकालग्रस्त घोषित करने की कार्यवाही संबंधी प्रश्न संख्या 6 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के

नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 23 तारांकित एवं 27 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. ध्यानाकर्षण- सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में 6 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को ध्यान में रखते हुए सम्मिलित किया गया है। विधानसभा नियमावली के नियम 138(3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

इस संबंध में सदन की सहमति चाही गई।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

1. श्री त्रिलोचन पटेल, सदस्य ने जिला जांजगीर-चांपा में स्थित महामाया मंदिर, सक्ती तथा शिव मंदिर, तुर्री में अव्यवस्था व्याप्त होने की ओर धर्मस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, धर्मस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

2. श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने प्रदेश में सीमेंट की कीमतों में वृद्धि होने की ओर उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, उद्योग मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. बहिर्गमन

प्रदेश में सीमेण्ट की कीमतों में वृद्धि संबंधी ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में स दन से बहिर्गमन किया गया।

5. ध्यानाकर्षण- सूचना(क्रमश:)

3. डॉ. बालमुकुंद देवांगन, सदस्य ने दुर्ग जिले में खनिज का अवैध उत्खनन किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री का ध्यानाकर्षित किया।

श्री सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव (मुख्यमंत्री से संबद्ध) ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. सर्वश्री देवव्रत सिंह, नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने जिला राजनांदगांव के खैरागढ़ विकासखंड में सर्वशिक्षा अभियान के तहत फर्नीचर खरीदी में अनियमितता किए जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यानाकर्षित किया।

श्री राजेश मूणत, राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा ने इस पर वक्तव्य दिया।

पढ़ी हुई मानी गई सूचनाएं तथा वक्तव्य -

5. श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य की प्रदेश की शासकीय शालाओं में शिक्षकों की कमी होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा का वक्तव्य।

6. श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य की प्रदेश शासन की गलत उद्योग नीति के कारण उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा उद्योग मंत्री का वक्तव्य।

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री लच्छुराम कश्यप, सदस्य ने चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ की कमी;

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने विकासखंड धरसींवा की सी.सी.आई. मांढर फैक्ट्री व राजेन्द्र स्टील संयंत्र के विरूद्ध बकाया मदों की वसूली तथा शासकीय भूमि के अधिग्रहण;

(3) श्रीमती रमशीला साहू, सदस्य ने गुण्डरदेही से जामगांव, गुण्डरदेही से धमतरी तथा अर्जुन्दा से बालौद मार्गों की दयनीय स्थिति तथा उनकी मरम्मत ; तथा

(4) श्री गुलाब सिंह, सदस्य ने जिला सरगुजा के ग्राम तिलंगा (तेलगवां) के दो पशु औषधालयों में से एक को ग्राम पिपरोल में स्थानांतरित किए जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) डॉ. बालमुकुन्द देवांगन,सदस्य ने खेरथा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत:-

(क) ग्राम आलबरस भरदा में तांदुला नदी पर पुल निर्माण,

(ख) ग्राम बीजाभाठा से सुरेगांव तक पक्की सड़क निर्माण,

(ग) ग्राम भुरकाभाट से ग्राम अहिबरन नवांगांव तक पक्की सड़क निर्माण,

(घ) ग्राम देवरी बंगला में तहसील मुख्यालय खोलने,

(ङ) ग्राम खेरथा बाजार में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम सहित महाविद्यालय खोलने,

(च) ग्राम रानीतराई में हाईस्कूल खोलने तथा

(2) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तिल्दा कोहका मार्ग का डामरीकरण कराने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत कीं।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

भारतीय स्टाम्प(छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2005

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने सदन की अनुमति से भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) पुर:स्थापित किया।

9. वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री रविन्द्र चौबे,

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए)

माननीय सभापति ने सदन की सहमति से रविन्द्र चौबे, सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक स दन के समय में वृद्धि करने की घोषणा की।

(चर्चा अपूर्ण)

(2.22 से 3.30 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

10. घोषणा

माननीय सदस्यों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की, कि माननीय सदस्यों को कम्प्यूटर का समुचित प्रशिक्षण दिए जाने हेतु विधानसभा सचिवालय द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की संस्था **चिप्स** के सहयोग से शनिवार, ि दनांक 5 मार्च, 2005 तथा रविवार, दिनांक 6 मार्च, 2005 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक विधानसभा परिसर स्थित सी-सेक्टर के केन्टीन हाल में समस्त माननीय सदस्यों के लिए क म्प्यूटर के व्यावहारिक (प्रेक्टिकल) प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

शनिवार दिनांक 5 मार्च, 2005

पूर्वाह्न 11.00 से 1.30 बजे तक- सदस्य निर्वाचन क्षेत्र क्र 01 से 45 एवं नाम निर्दिष्ट सदस्य

अपराह्न 1.30 से 2.30 बजे तक- दोपहर भोज (समस्त माननीय सदस्यों के लिए)

अपराह्न 2.30 से 5.00 बजे तक- सदस्य निर्वाचन क्षेत्र क्र 46 से 90

रविवार दिनांक 6 मार्च, 2005

पूर्वाह्न 11.00 से 1.30 बजे तक- सदस्य निर्वाचन क्षेत्र क्र 01 से 45 एवं नाम निर्दिष्ट सदस्य

अपराह्न 1.30 से 2.30 बजे तक- दोपहर भोज (समस्त माननीय सदस्यों के लिए)

अपराह्न 2.30 से 5.00 बजे तक- सदस्य निर्वाचन क्षेत्र क्र 46 से 90

माननीय सदस्यगणों की उपस्थिति अपेक्षित है।

सी.पी.ए. तथा आई.पी.ए. की सदस्यता ग्रहण की जाना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि ऐसे माननीय सदस्य जिन्होंने राष्ट्रकुल संस दीय संघ एवं भारतीय संसदीय संघ-छत्तीसगढ़ शाखा की सदस्यता ग्रहण नहीं की है तथा निर्धारित शुल्क रूपये 1000 (रूपये एक हजार) तथा सदस्यता प्रपत्र भरकर जमा नहीं किया है वे कृपया य थाशीघ्र निर्धारित सदस्यता शुल्क एवं सदस्यता प्रपत्र भरकर सम्मेलन शाखा कमरा नं. बी-22 -ए में (सदस्य-सुविधा शाखा के पास) जमा कराने का कष्ट करें।

11. अशासकीय संकल्प

(1) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

सदन का यह मत है कि -"राज्य शासन द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यमार्गों, स्कूलों, मंदिरों, एवं रिहायशी क्षेत्रों में परंपरागत श्रेणी की देशी शराब की दुकानों को दूरस्थ स्थानों में स्थानांतरित किया जाए", तथा संकल्प के पक्ष में संक्षिप्त भाषण दिया।

सर्वश्री इंदर चोपड़ा, देवव्रत सिंह, डॉ. सुभाऊ कश्यप, उदय मुदलियार, देवजी पटेल, राम दयाल उइके, नोवेल कुमार वर्मा एवं लालसाय खुंटे, सदस्य ने संकल्प के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए।

श्री अमर अग्रवाल, आबकारी मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प पर मत लिया गया।

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

(2) डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि-

सदन का यह मत है कि -"छत्तीसगढ़ प्रदेश की सभी नगर पंचायतों में नि:शुल्क सुलभ शौचालयों का निर्माण कराया जाए" तथा संकल्प के पक्ष में संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प पर मत लिया गया।

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

(3) श्री उदय मुदलियार, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि-

यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि -"नागपुर से दुर्ग तक राष्ट्रीय राजमार्ग क्र-6 में फोरलेन मार्ग का निर्माण किया जाए" तथा संकल्प के पक्ष में संक्षिप्त भाषण दिया।

सर्वश्री इंदर चोपड़ा, देवव्रत सिंह, देवजी पटेल ने संकल्प के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए।

श्री राजेश मूणत, राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग ने चर्चा का उत्तर ि

दया।

संकल्प पर मत लिया गया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

सायं 5.23 बजे विधानसभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 07 मार्च, 2005 (फाल्गुन 16, शक् स म्वत् 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

सोमवार, दिनांक 07 मार्च, 2005

(फाल्गुन 16, 1926)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रथम चक्र में प्रश्न संख्या- 4, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 25 एवं द्वितीय चक्र में 1, 2, 3, 7 (कुल 17 प्रश्नों) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 20 तारांकित एवं 26 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

प्रश्नकाल की समाप्ति पर सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, गृहमंत्री, महेन्द्र कर्मा- नेता प्रतिपक्ष, रविन्द्र चौबे, नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य तथा डॉ. रमन सिंह-मुख्यमंत्री ने माननीय अध्यक्ष को उनके जन्मदिन दिनांक 8 मार्च, 2005 (महाशिवरात्रि) के उपलक्ष्य में बधाई दी।

2. ध्यानाकर्षण- सूचना

1. सर्वश्री नोवेल कुमार वर्मा, डॉ. शक्राजीत नायक, रविन्द्र चौबे, सदस्य ने निजी विश्वविद्यालयों की मान्यता समाप्त किए जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

2. महंत रामसुन्दर दास, सदस्य ने पूजा स्थलों के पास से शराब तथा मांस की दुकान हटाये जाने के संबंध में वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

3. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष ने वर्ष 2004 में संपन्न हायर सेकेण्डरी स्कूल की पूरक परीक्षा की अंक सूची आज पर्यन्त अप्राप्त होने, तथा

(2) डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने जिला महासमुंद, विकासखंड बसना, गढ़फुलझर में ट्रांसफार्मर द्वारा पर्याप्त विद्युत आपूर्ति न किए जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं।

4. समितियों के लिए निर्वाचन

(1) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि- सभा के सदस्यगण विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम -221 के उप नियम (3), 223 के उप नियम (2) तथा 223-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2005-2006 की अवधि के लिए अपने में से क्रमश: 9-9 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों।

प्रस्ताव पर मत लिया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति

श्री राम विचार नेताम, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि- सभा के सदस्यगण विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम -234-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वर्ष 2005-2006 की अवधि के लिए अपने में से 09 सदस्य जिनमें से क्रमश: 03-03 सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछडे वर्ग.के होंगे, निर्वाचन के लिए अग्रसर हों।

प्रस्ताव पर मत लिया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधानसभा सचिवालय में शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2005 को अपराह्न 4.00 बजे तक दिये जा सकते हैं।

2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2005 को अपराह्न 1.30 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक -1 में होगी

3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2005 को अपराह्न 1.30 बजे तक विधानसभा सचिवालय में दी जा सकती है।

4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 2005 को प्रात: 11.00 बजे से 4.00 बजे तक विधानसभा भवन स्थित सि

मति कक्ष क्रमांक -1 में होगा।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा।

उपर्युक्त निर्वाचनों में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधानसभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।

5. वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमश:)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ. बालमुकुंद देवांगन,

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए)

श्री धर्मजीत सिंह,

माननीय सभापति ने सदन की अनुमति से श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि करने की घोषणा की।

(1.57 से 2.32 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री देवलाल दुग्गा, गणेश शंकर बाजपेयी,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री अघन सिंह ठाकुर,

(सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, सिद्धनाथ, डॉ. शक्राजीत नायक,

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री विनोद खाण्डेकर, बोधराम कंवर, दयालदास बघेल, कवासी लखमा, नोवेल कुमार वर्मा,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा पूर्ण होने तक स दन के समय में वृद्धि की घोषणा की।

श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

6. घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि विधान सभा परिसर में माननीय सदस्यों के लिए विधानसभा भवन में स्थित एलोपैथिक चिकित्सालय एवं समिति कक्ष क्रमांक -3 में दिनांक 9, 10 एवं 11 मार्च, 2005 को चिकित्सकीय परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विशेषज्ञ/चिकित्सक प्रात: 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य उपस्थित रहेंगे।

समस्त माननीय सदस्य उक्त विशेषज्ञों/परीक्षण का लाभ अवश्य लेवें।

सायं 6. 47 बजे विधानसभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 09 मार्च, 2005 (फाल्गुन 18, शक् सम्वत् 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

बुधवार, दिनांक 09 मार्च, 2005

(फाल्गुन 18, 1926)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या- 2, 3, 10, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24 एवं 25 (कुल 12 प्रश्नों) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 5 (क्रमांक 1342) के प्रश्नोत्तर में दिनांक गलत मुद्रित हो जाने से माननीय अध्यक्ष ने इस प्रश्न को दिनांक 16-3-2005 के लिए स्थगित किया।

1. बहिर्गमन

मुंगेली तहसील में चार बच्चों की मौत संबंधी प्रश्न संख्या 22 पर चर्चा के दौरान श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 20 तारांकित एवं 35 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. घोषणा

चिकित्सकीय परीक्षण शिविर

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि विधानसभा परिसर में माननीय सदस्यों के लिए विधानसभा परिसर में स्थित एलोपैथिक चिकित्सालय एवं समिति कक्ष क्रमांक -3 में 9 मार्च से 11 मार्च, 2005 तक चिकित्सकीय परीक्षण शिविर आयोजित है, जिसमें विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सक 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य उपस्थित रहेंगे। माननीय सदस्य विशेषज्ञों के परीक्षण का लाभ प्राप्त करें।

सर्वश्री महेन्द्र कर्मा-नेता प्रतिपक्ष , धर्मजीत सिंह, रविन्द्र चौबे, मोहम्मद अकबर, नंद कुमार पटेल, सदस्य ने 7 मार्च, 2005 को श्री अजय वर्मा, क्राईम रिपोर्टर, हरिभूमि के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा की गई मारपीट पर उनके द्वारा दी गई स्थगन-प्रस्ताव की सूचना पर चर्चा कराने का आसंदी से अनुरोध किया ।

4. बहिर्गमन

श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा उनके द्वारा पत्रकारों पर हमले संबंधी स्थगन प्रस्ताव की दी गई सूचना पर शासन द्वारा तत्काल जवाब न दिये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

1. श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य ने राजनांदगांव वन मंडल के खुज्जी परिक्षेत्र में अनियमितता व्याप्त होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सदस्य को फरवरी-मार्च, 2005 सत्र में सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक -25, कोटा के सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल की ओर से विधानसभा नियमावली के नियम 277(1) के अधीन आवेदन प्राप्त हुआ है। उन्होंने फरवरी-मार्च, 2005 सत्र में सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही है।

सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।

7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री देवलाल दुग्गा, सदस्य ने कांकेर जिलान्तर्गत सिंचाई बांध टूट जाना,

(2) श्री विनोद खाण्डेकर, सदस्य ने डोंगरगढ़, ग्राम-पटेवा में औद्योगिक विकास कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा औद्योगिक इकाई स्थापित कर कृषि योग्य भूमि की खरीदी की जाने, तथा

(3) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने प्रदेश की प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों का भुगतान न किये जाने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी।

8. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

लोक लेखा समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम प्रतिवेदन

डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव, सभापति ने लोक लेखा समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

9. वर्ष 2005-2006 की अनुदान मांगों पर चर्चा

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने - सामान्य प्रशासन से संबंधित मांग संख्या - 1, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय से संबंधित मांग संख्या - 2, उर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या -12, जनसंपर्क विभाग से संबंधित मांग संख्या - 32, विमानन विभाग से संबंधित मांग संख्या -65, खनिज साधन विभाग से संबंधित मांग संख्या -25 प्रस्तुत कीं।

मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए।

मांगों पर चर्चा प्रारंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री भूपेश बघेल,

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री डॉ. बालमुकुंद देवांगन, धर्मजीत सिंह,

माननीय सभापति ने सदन की अनुमति से चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों की अधिकता के कारण भोजनावकाश एक घंटा रखने की घोषणा की।

(1.32 से 2.32 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अघनसिंह ठाकुर, नंद कुमार पटेल, विजय अग्रवाल, चंदूलाल साहू, डॉ. रामचंद्र सिंह देव, रामसेवक पैकरा, डॉ. शक्राजीत नायक, सिद्धनाथ, देवजी पटेल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, नोवेल कुमार वर्मा, इंदर चोपड़ा, उदय मुदलियार।

5.25 बजे माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से मुख्यमंत्री का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. घोषणा

लेपटॉप प्रिंटर का प्रदाय

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की, कि माननीय मुख्यमंत्री ने समस्त माननीय सदस्यों को लेपटाप का समुचित उपयोग हो सके, इस हेतु माननीय सदस्यों के आग्रह को स्वीकार कर प्रिंटर भी

वितरित करने का निर्णय लिया है। प्रिन्टर का वितरण 10 मार्च, 2005 से विधानसभा सचिवालय द्वारा आरंभ किया जायेगा।

समस्त माननीय सदस्य हस्ताक्षर कर प्रिन्टर प्राप्त कर सकते हैं।

सायं 6.10 बजे विधानसभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 10 मार्च, 2005 (फाल्गुन 19, शक् सम्वत् 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

○

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

○

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

गुरुवार, दिनांक 10 मार्च, 2005

(फाल्गुन 19, 1926)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, एवं 18 (कुल 15 प्रश्नों) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

2. बहिर्गमन

फैक्ट्रियों के कबाड़ में पाए गए राकेट एवं बम पर कार्यवाही संबंधी प्रश्न संख्या-5 पर चर्चा के दौरान श्री मोहम्मद अकबर के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 6 तारांकित एवं 18 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

1. सर्वश्री देवजी पटेल, डॉ. शिवकुमार डहरिया, धर्मजीत सिह, सदस्य ने जिला धमतरी में राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अंतर्गत सामग्री क्रय में अनियमितता की ओर राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा का ध्यान आकर्षित किया।

   श्री राजेश मूणत, राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा ने इस पर वक्तव्य दिया।

2. सर्वश्री धर्मजीत सिंह, सियाराम कौशिक, सदस्य ने जिला बिलासपुर थाना पथरिया, ग्राम बिदबिदा के सरपंच की हत्या किए जाने की ओर गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

   श्री बृजमोहन अग्रवाल, गृहमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा भ्रष्ट्राचार किये जाने, तथा

2. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने चांपा नगर में साफ-सफाई व्यवस्था ठीक न होने, संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ीं।

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री भरत साय, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2005 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

◌	अशासकीय संकल्प क्र मांक	सदस्य का नाम	समय
1.	(क्रमांक-1)	डॉ. हरिदास भारद्वाज	30 मिनट
2.	(क्रमांक-9)	श्री धर्मजीत सिंह	1 घंटा
3.	(क्रमांक-19)	श्री रविन्द्र चौबे	1 घंटा

श्री भरत साय, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. वर्ष2005-2006 की अनुदान मांगों पर चर्चा

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत मंत्री ने - पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित मांग संख्या - 30, त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या - 80, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या -59, राज्य विधानमंडल से संबंधित मांग संख्या - 28, उच्च शिक्षा से संबंधित मांग संख्या -44, विज्ञान एवं टेक्नालॉजी से संबंधित मांग संख्या -46, तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग से संबंधित मांग संख्या-47 प्रस्तुत कीं।

मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए।

मांगों पर चर्चा प्रारंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री रविन्द्र चौबे,

(सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए।)

माननीय सभापति ने सदन की सहमति से श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।

7. सदन को सूचना

(अध्यक्ष इलेवन एवं मुख्यमंत्री इलेवन के मध्य क्रिकेट मैच)

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि शनिवार, दिनांक 12 मार्च, 2005 को प्रात: 9.00 बजे राजकुमार कालेज, रायपुर प्रांगण में स्थित खेल मैदान में अध्यक्ष इलेवन एवं मुख्यमंत्री इलेवन के मध्य क्रिकेट मैच खेला जायेगा। अध्यक्ष इलेवन एवं मुख्यमंत्री इलेवन की टीमें इस प्रकार हैं :-

	अध्यक्ष इलेवन		मुख्यमंत्री इलेवन
1.	श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, (कप्तान)	1.	डॉ. रमन सिंह (कप्तान)
2.	श्री भूपेश बघेल	2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल
3.	डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव	3.	श्री अमर अग्रवाल
4.	श्री रविन्द्र चौबे	4.	श्री अजय चन्द्राकर
5.	श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया	5.	श्री रामविचार नेताम
6.	श्री देवजी भाई पटेल	6.	श्री ननकीराम कंवर
7.	श्री विजय अग्रवाल	7.	श्री गणेश राम भगत
8.	श्री धर्मजीत सिंह	8.	श्री मेघाराम साहू
9.	श्री देवव्रत सिंह	9.	श्री हेमचंद यादव
10.	श्री मोहम्मद अकबर	10.	श्री राजेश मूणत
11.	श्री इंदर चोपड़ा	11.	डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
12.	श्री योगेश्वर राज सिंह	12.	श्री केदार कश्यप
13.	श्री विनोद खांडेकर	13.	श्री पूनम चन्द्राकर
14.	श्री उदय मुदलियार	14.	श्री महेश बघेल
15.	श्री नोवेल कुमार वर्मा	15.	श्री सत्यानंद राठिया

समस्त माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे समय पर उपस्थित होकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ायें तथा क्रिकेट मैच का आनंद उठायें।

क्रिकेट मैच के तुरंत पश्चात माननीय सदस्यों हेतु भोजन की व्यवस्था है।

(1.46 से 2.32 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

8. वर्ष 2005-2006 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

सर्वश्री इंदर चोपड़ा, उदय मुदलियार, डॉ. बालमुकुंद देवांगन, सत्यनारायण शर्मा, विजय अग्रवाल, धर्मजीत सिंह

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री देवलाल दुग्गा, भूपेश बघेल, सुश्री रोजलिन बेकमेन, महंत रामसुन्दर दास

9. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कम्प्यूटर प्रिंटर का वितरण आरंभ है, माननीय सदस्य कृपया कक्ष A-1 में पंजी में हस्ताक्षर कर प्रिंटर प्राप्त करें।

10. वर्ष 2005-2006 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

सर्वश्री देवजी भाई पटेल, डॉ. शक्राजीत नायक, विनोद खाण्डेकर, देवव्रत सिंह, श्रीमती र मशीला साहू, ओंकार शाह।

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 7.28 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2005 (फाल्गुन 20, शक सम्वत 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2005

(फाल्गुन 20, 1926)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, एवं 11 (कुल 10 प्रश्नों) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या -2 पर चर्चा के दौरान डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य के मोबाईल की घंटी बजने पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि माननीय सदस्य अपने मोबाईल सदन के अंदर लेकर न आया करें।

डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने उनके मोबाईल की घंटी बजने पर खेद व्यक्त किया।

2. बहिर्गमन

प्रदेश में धान खरीदी संबंधी प्रश्न संख्या-2 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 6 तारांकित एवं 12 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव (मुख्यमंत्री से संबद्ध) ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 एवं 181(1) के अधीन जारी अधिसूचना क्रमांक -1006-ए /996/2004/13/1, दिनांक 11 अक्टूबर, 2004 को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 की अपेक्षानुसार पटल पर रखा।

(2) श्री सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव (मुख्यमंत्री से संबद्ध) ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 की अपेक्षानुसार जारी अधिसूचना क्रमांक -1/सी.एस.ई.आर.सी./2004 दिनांक 16 सितंबर, 2004 को पटल पर रखा ।

4.ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में 12 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को ध्यान में रखते हुए सम्मिलित किया गया है। विधानसभा नियमावली के नियम 138(3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

इस संबंध में सदन की अनुमति चाही गई।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

1. सर्वश्री त्रिलोचन पटेल, देवजी भाई पटेल, अघन सिंह ठाकुर सदस्य ने छत्तीसगढ़ राज्य मंडी बोर्ड द्वारा राज्य विपणन विकास निधि का दुरूपयोग किए जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यानाकर्षित किया।

श्री पूनम चंद्राकर, संसदीय सचिव, कृषि ने इस पर वक्तव्य दिया।

2. डॉ. शिवकुमार डहरिया, सदस्य ने नगरपालिका परिषद बालोद द्वारा शासकीय भूमि के आबंटन में अनियमितता किए जाने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

3. सर्वश्री मोहम्मद अकबर, उदय मुदलियार, सदस्य ने हरिभूमि समाचार पत्र के संवाददाता की पुलिस द्वारा पिटाई किये जाने की ओर गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. बहिर्गमन

हरिभूमि समाचार पत्र के संवाददाता की पुलिस द्वारा पिटाई किये जाने संबंधी ध्यानाकर्षण सूचना पर शासन के उत्तर के विरोध में श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री नोवेल कुमार वर्मा द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया।

6. ध्यानाकर्षण- सूचना (क्रमश:)

पढ़ी हुई मानी गई सूचनाएं तथा वक्तव्य

4. श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य की जिला कोरबा में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत मर म्मत कार्यों में अनियमितता किए जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

5. श्री देवव्रत सिंह, सदस्य की खैरागढ़-लांजी मार्ग के डामरीकरण व गिट्टीकरण के कार्य में अनियमितता किए जाने संबंधी सूचना तथा राज्य मंत्री लोक निर्माण का वक्तव्य।

6. सर्वश्री रविन्द्र चौबे, धर्मजीत सिंह, सदस्य की प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति संबंधी सूचना तथा राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का वक्तव्य।

7. श्री त्रिलोचन पटेल, सदस्य की सरायपाली एवं बसना विकासखंड में विद्युत आपूर्ति में अव्यवस्था होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

8. डॉ. शिवकुमार डहरिया, सदस्य की नगरपालिका परिषद बालोद द्वारा निर्माण कार्यों में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन मंत्री का वक्तव्य।

9. डॉ. चेतन वर्मा, सदस्य की जिला दुर्ग, तहसील बेमेतरा के विभिन्न धान संग्रहण केन्द्रों में धान खरीदी में अव्यवस्था होने संबंधी सूचना तथा खाद्य मंत्री का वक्तव्य।

7.नियम 267-क अंतर्गत विषय

(1) श्री अघनसिंह ठाकुर, सदस्य ने विधानसभा क्षेत्र कांकेर के नरहरदेव शा.उ.मा. विद्यालय की मरम्मत की जाने,

(2) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने चांपा नगर में पेयजल समस्या होने,

(3) श्री अमरजीत भगत, सदस्य ने आपदा राहत का खाद्यान्न खुले बाजार में बेचे जाने तथा

(4) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने मालखरौदा तहसील अंतर्गत आठ लोगों को बंधक बनाये जाने

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

8.वर्ष 2005-2006 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने वित्त विभाग से संबंधित मांग संख्या 6, वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित मांग संख्या -7, योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित मांग संख्या -31, ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान से संबंधित मांग संख्या-48, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित मांग संख्या -50, जिला परियोजना से संबंधित मांग संख्या-60, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग- नगरीय निकाय से संबंधित मांग संख्या-22, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग- नगरीय कल्याण से संबंधित मांग संख्या -69, नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-81, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित मांग संख्या-11, ग्रामोद्योग से संबंधित मांग संख्या-56, ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या-78 प्रस्तुत कीं।

मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए।

मांगों पर चर्चा प्रारंभ हुई।

9. घोषणा

(माननीय सदस्यों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण से संबंधित साहित्य का वितरण)

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की, कि माननीय सदस्यों को कम्प्यूटर का समुचित प्रशिक्षण दिये जाने हेतु विधानसभा सचिवालय द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की संस्था **चिप्स** के सहयोग से विधानसभा परिसर में सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।

माननीय सदस्य कम्प्यूटर के प्रचालन से भली-भांति अवगत हो सकें इस उद्देश्य से सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विधियों से युक्त 02 पुस्तकें एवं 01 सी.डी. माननीय सदस्यों को विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रदाय की जा रही है।

समस्त माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया हस्ताक्षर कर पुस्तकें व सी.डी. सचिवालय की सम्मेलन शाखा कक्ष क्र. बी-22 ए (पुस्तकालय के पास) से प्राप्त करें।

10.वर्ष 2005-2006 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव,

(सभापति महोदय (श्री अघनसिंह ठाकुर) पीठासीन हुए।)

श्री नोवेल कुमार वर्मा

माननीय सभापति ने श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य का भाषण पूरा होने तक सदन के समय में वृद्धि करने की घोषणा की।

(चर्चा अपूर्ण)

(1.48 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

11. अशासकीय संकल्प

(1.) रायपुर-बलौदा बाजार, सारंगढ़, सरिया होते हुए राऊरकेला तक नई रेल लाईन का निर्माण।

डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि- यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि - "रायपुर-बलौदा बाजार, सारंगढ़, सरिया होते हुए राऊरकेला तक नई रेल लाईन का निर्माण किया जाए" तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री इंदर चोपड़ा

(सभापति महोदय (श्री अघनसिंह ठाकुर) पीठासीन हुए।)

श्री विनोद खाण्डेकर।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, पर्यटन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प पर मत लिया गया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(2.) छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़, जशपुर एवं कोरबा जिले में प्रोजेक्ट एलीफेंट के अंतर्गत "हाथी अभ्यारण्य" बनाने हेतु केन्द्रीय शासन द्वारा स्वीकृति दी जाकर आर्थिक सहयोग प्र दान किये जाना।

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि - यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़, जशपुर एवं कोरबा जिले में प्रोजेक्ट एलीफेंट के अंतर्गत "हाथी अभ्यारण्य" बनाने हेतु केन्द्रीय शासन द्वारा स्वीकृति दी जाकर आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए" तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री इंदर चोपड़ा, राजशरण भगत

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

श्री गणेश राम भगत, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प पर मत लिया गया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

12. सदन को सूचना

(स्पीकर इलेवन तथा मुख्यमंत्री इलेवन के मध्य क्रिकेट मैच)

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि शनिवार, दिनांक 12 मार्च, 2005 को प्रात: 9.00 बजे स्पीकर इलेवन तथा मुख्यमंत्री इलेवन के मध्य राजकुमार कालेज रायपुर के खेल मैदान में क्रिकेट मैच खेला जायेगा। समस्त माननीय सदस्यों/खिलाड़ियों से अनुरोध है कि निर्धारित समय पर उपस्थित रहें। खिलाड़ियों की घोषणा दिनांक 10 मार्च, 2005 को की जा चुकी है।

यह भी अनुरोध है कि अपने परिवार सहित उपस्थित होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्द्धन करें तथा मैच का आनंद उठायें।

मैच के तुरंत बाद भोजन की व्यवस्था है।

13. अशासकीय संकल्प (क्रमश:)

(3.) राज्य शासन द्वारा सभी शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु ग्रामों, कस्बों में लघु व कुटीर उद्योग स्थापित किये जाना।

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि - सदन का यह मत है कि "राज्य शासन द्वारा सभी शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु ग्रामों, कस्बों में लघु व कुटीर उद्योग स्थापित किए जाएं" तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री इंदर चोपड़ा, डॉ. हरिदास भारद्वाज, डॉ. सुभाऊ कश्यप, अमरजीत भगत, ओंकार शाह, धर्मजीत सिंह, मोतीलाल देवांगन, रजिन्दर पाल सिंह भाटिया।

श्री अमर अग्रवाल, उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्पकर्ता सदस्य एवं सदन की सहमति के परिप्रेक्ष्य में माननीय अध्यक्ष ने निम्नानुसार संशोधित रूप में संकल्प सभा के समक्ष रखा :-

सदन का यह मत है कि "राज्य शासन द्वारा सभी शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु ग्रामों, कस्बों में लघु व कुटीर उद्योग स्थापित करने हेतु हर संभव सहायता दी जाए।"

संकल्प पर मत लिया गया।

यथा संशोधित संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

सायं 5. 02 बजे विधानसभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2005 (फाल्गुन 23, शक सम्वत 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

ः

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2005

(फाल्गुन 23, 1926)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रकुल दिवस पर माननीय अध्यक्ष द्वारा अनौपचारिक उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि - राष्ट्रकुल के सदस्य देश प्रतिवर्ष मार्च माह के द्वितीय सोमवार को राष्ट्रकुल दिवस के रूप में मनाते हैं। तदनुसार आज सोमवार दिनांक 14 मार्च, 2005 राष्ट्रकुल दिवस है।

राष्ट्रकुल बहु-जातीय, बहु-भाषायी, बहु-संस्कृति, एवं बहु-धार्मिक, प्रभुसत्ता संपन्न देशों का एक ऐसा संगठन है जो विश्व के छः महाद्वीपों में निवासरत विश्व की लगभग एक चौथाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। परस्पर संवाद एवं सहयोग की भावना लिए यह संगठन अपने सदस्य देशों में स्वस्थ्य, उद्देश्यपूर्ण संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना एवं निरंतर संवर्धन के प्रति कृत-संकल्पित है। आज राष्ट्रकुल संसदीय संगठन जिस स्वरूप में विद्यमान है उसे यह स्वरूप प्रदान करने में भारत वर्ष ने एक अहम भूमिका निभाई है। पिछले लगभग 50-55 वर्षों में राष्ट्रकुल में भी उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। इस संस्था को आज हम एक बहुउद्देशीय संस्था के रूप में जानते हैं। मूलत: यह संगठन अनेकता में एकता की नींव पर मजबूती से खड़ा है जिसका ध्येय सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों में अपार भिन्नताओं के मध्य प्रजातंत्र के आदर्शों, सुशासन, विधि तथा मानवाधिकारों के प्रति समुचित सम्मान की भावना को विकसित करना है। जिससे प्रजातंत्र और अधिक परिस्कृत व प्रभावी हो।

इस वर्ष राष्ट्रकुल देशों ने **शिक्षा- अवसर का निर्माण, संभावनाएं, अपार Education - Creating Opportunity, Realising Potential** को वर्ष 2005 का आधार बनाया है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा भी राष्ट्रकुल संसदीय संघ की एक सदस्य शाखा है। हम सब भी इस वर्ष शिक्षा के अवसर निर्मित कर संभावनाओं की प्राप्ति को अपना मूल मंत्र मानते हुए प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में शिक्षित, साक्षर समाज की स्थापना हेतु प्रयासरत रहे, इस अवसर पर यही मेरी शुभकामनाएं हैं।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या- 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12 एवं 13 (कुल 9 प्रश्नों) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

3. बहिर्गमन

प्रदेश में आदिवासियों को गाय बांटने की योजना संबंधी प्रश्न संख्या 12 पर चर्चा के दौरान श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 4 तारांकित एवं 17 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2002 की धारा- 20 की उपधारा (1) के तहत बनाये गये औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम , 2004 संबंधी जारी अधिसूचना क्रमांक - एफ 7-1/2004 /11(6) दिनांक 15 दिसंबर, 2004 को अधिनियम की धारा-20 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार पटल पर रखा।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

1. श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने प्रदेश में बेमौसम बारिश से रबी फसलों का नुकसान होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पूनम चंद्राकर, संसदीय सचिव, राजस्व ने इस पर वक्तव्य दिया।

शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन विरोधी नारे लगाये गये।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि सदन में चर्चा की जाती है न कि नारे लगाये जाते हैं।

6. बहिर्गमन

प्रदेश में बेमौसम बारिश से रबी फसलों का नुकसान संबंधी ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने प्रदेश में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों को न भरे जाने , तथा

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने अशासकीय अनुदान प्राप्त संस्थाओं के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को पांचवें वेतनमान का लाभ न दिये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

8. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव, सभापति, लोक लेखा समिति ने समिति का सप्तम्, अष्ठम्, नवम्, दश म्, ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां, चौदहवां, पन्द्रहवां, सोलहवां, संत्रहवां, अठारहवां, उन्नीसवां, बीसवां एवं इक्कीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री धर्मजीत सिह, सदस्य ने लोरमी-पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत -

(क) विकासखंड पंडरिया के ग्राम कोदवा गोड़ान में शासकीय पशु औषधालय खोलने,

(ख) विकासखंड लोरमी के ग्राम चंदली में 33/11 के.व्ही. क्षमता के विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराने,

(ग) कबीरधाम जिले के ग्राम पंचायत पांडातराई को नगर पंचायत का दर्जा देने,

(घ) कबीरधाम जिले की तहसील मुख्यालय पंडरिया के शासकीय कन्या हाईस्कूल में 10+2 कक्षायें प्रारंभ कराने, तथा

(2) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम निलजापौनी -पथरी मार्ग का डामरीकरण कराने

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत कीं।

10.वर्ष 2005-2006 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

(1) श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री की मांगों पर पुनर्ग्रहीत चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

श्री देवलाल दुग्गा,

(सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री रविन्द्र चौबे, चंदूलाल साहू, मोतीलाल देवांगन।

11. घोषणा

(भोजनावकाश का निरस्तीकरण)

माननीय सभापति महोदय ने सदन की सहमति से घोषणा की कि -आज की कार्यसूची में अनुदान की मांगों पर चर्चा हेतु 3.30 घंटे का समय आबंटित है, लेकिन अनुदान मांगों पर बहुत अधिक संख्या में माननीय सदस्य अपना विचार रखना चाहते हैं।

समस्त सदस्य अनुदान मांगों पर अपने विचार व्यक्त कर सकें इस उद्देश्य से आज से भोजन अवकाश नहीं होगा।

12.वर्ष 2005-2006 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

सर्वश्री कमलभान सिंह, अमरजीत भगत,

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री त्रिलोचन पटेल, भूपेश बघेल, लच्छुराम कश्यप, धर्मजीत सिह, उदय मुदलियार

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री देवव्रत सिंह, डॉ. शिवकुमार डहरिया।

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, गृह मंत्री ने पुलिस विभाग से संबंधित मांग संख्या 3, गृह विभाग से संबंधित मांग संख्या 4 , जेल विभाग से संबंधित मांग संख्या 5, श्रम विभाग से संबंधित मांग संख्या 18, संस्कृति विभाग से संबंधित मांग संख्या 26, पर्यटन विभाग से संबंधित मांग संख्या 37, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व से संबंधित मांग संख्या 51 प्रस्तुत कीं।

मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए।

मांगों पर प्रारंभ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री उदय मुदलियार,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

डॉ बालमुकुंद देवांगन

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, विनोद खाण्डेकर, देवव्रत सिंह।

माननीय सभापति ने सदन की सहमति से वक्ताओं की संख्या अधिक होने से सदन के समय में 7.00 बजे सायं तक वृद्धि करने की घोषणा की।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री संजय ढ़ीढ़ी, धनेन्द्र साहू, प्रीतम दीवान, गणेश शंकर बाजपेयी, बद्रीधर दीवान, रामदयाल उईके,

(चर्चा अपूर्ण)

सायं 7. 00 बजे विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2005 (फाल्गुन 24, शक सम्वत 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2005

(फाल्गुन 24, 1926)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या- 1, 2, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23 एवं 24 (कुल 16 प्रश्नों) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 11 तारांकित एवं 15 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. घोषणा

(भोजनावकाश का स्थगन तथा सदन के समय मे वृद्धि)

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से घोषणा की, कि विनियोग विधेयक के पुर:स्थापन के पूर्व समस्त अनुदान मांगों पर चर्चा पूर्ण हो सके, इस हेतु आज से भोजनावकाश स्थगित कर सदन की कार्यवाही 7.00 बजे सायं तक चलेगी।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

1. सर्वश्री देवजी पटेल, अघनसिंह ठाकुर, सदस्य ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में शराब उत्पादन से प्रदूषण फैलने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गणेश राम भगत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य ि
दया।

2. सर्वश्री मोहम्मद अकबर, धर्मजीत सिह, सदस्य ने जिला रायपुर के ग्राम मोवा स्थित सहकारी समिति द्वारा बिना अनुमति के हजारों टन धान की खरीदी किए जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यानाकर्षित किया।

श्री मेघाराम साहू, खाद्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. बहिर्गमन

जिला रायपुर के ग्राम मोवा स्थित सहकारी समिति द्वारा बिना अनुमति के हजारों टन धान की खरीदी किए जाने संबंधी ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया।

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. श्री लच्छुराम कश्यप, सदस्य ने चित्रकोट विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत चूना पत्थर खदान को लीज पर दिये जाने में की गई अनियमितता, तथा

2. श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने अंबिकापुर के मलेरिया अधिकारी को जी.पी.एफ. भुगतान न किए जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

6.वर्ष 2005-2006 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

1.गृहमंत्री जी की मांगों पर पुनर्ग्रहीत चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :- श्री छतराम देवांगन,

(सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अमरजीत भगत, विजय अग्रवाल, नंदकुमार पटेल, देवजी भाई पटेल

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री राजेन्द्र पामभोई,नोवेल कुमार वर्मा,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, गहमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राम विचार नेताम, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-15, आदिम जाति कल्याण से संबंधित मांग संख्या-33, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित मांग संख्या-41, आदिवासी क्षेत्र उप योजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या-42, अनुसूचित जाति कल्याण से संबंधित मांग संख्या 49, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-53, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना से संबंधित मांग संख्या -64, पिछड़ा वर्ग कल्याण से संबंधित मांग संख्या-66, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य भवन से संबंधित

मांग संख्या -68, बिलासपुर संभाग में आदिवासी क्षेत्रों का विकास से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं से संबंधित मांग संख्या-77, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 82, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-83 प्रस्तुत कीं।

मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए।

मांगों पर प्रारंभ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री राजेन्द्र पामभोई

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री राजेन्द्र पामभोई (भाषण जारी)

(सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री सुभाऊ कश्यप, डॉ. हरिदास भारद्वाज, अघनसिंह ठाकुर

सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अमरजीत भगत, लच्छुराम कश्यप

(सभापति महोदय (श्री अघनसिंह ठाकुर) पीठासीन हुए।)

8.वर्ष 2005-2006 अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

सर्वश्री रामदयाल उईके, विजयनाथ, देवव्रत सिंह,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री सिद्धनाथ, कमलभान, ओंकार शाह, लाल महेन्द्र सिंह टेकाम, देवलाल दुग्गा, प्रीतम सिंह दीवान, रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, गणेश शंकर बाजपेयी।

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से आदिम जाति कल्याण मंत्री के विभागो पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।

श्री रामविचार नेताम, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 7. 23 बजे विधानसभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 2005 (फाल्गुन 25, शक सम्वत 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 2005

(फाल्गुन 25, 1926)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

सर्वप्रथम 9.3.2005 के स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 1342) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये तदुपरांत 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या- 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, (कुल 9 प्रश्नों) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

2. बहिर्गमन

तहसील मैनपुर में भू-गर्भ शास्त्री द्वारा हीरे मिलने की व्यक्त की गई संभावना संबंधी प्रश्न संख्या -5 पर चर्चा के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री नोवेल कुमार वर्मा द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 12 तारांकित एवं 20 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव (मुख्यमंत्री से संबद्ध) ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की धरा 19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा 19 के अंतर्गत चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004 पटल पर रखा।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

1. श्री चुरावन मंगेशकर, सदस्य ने जिला जांजगीर-चांपा के ग्राम डोगिया में एक व्यक्ति द्वारा युवक-युवती की हत्या किए जाने की ओर गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, गृहमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

2. श्री राजेन्द्र पामभोई, सदस्य ने एस्सार परियोजना के अंतर्गत लौह चूर्ण को बैलाडीला से विशाखापट्नम ले जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव (मुख्यमंत्री से संबद्ध) ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. श्री ओंकार शाह, सदस्य ने जिला रायपुर थाना गरियाबंद, ग्राम फुलकर्रा के स्थानीय निवासी गेन्दुराम यादव के मृत्यु प्रकरण संबंधी,

2. डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने औपचारिकेत्तर शिक्षक अनुदेशक एवं पर्यवेक्षक की शिक्षा विभाग में संविलियन एवं नियुक्ति की जाने, तथा

3. श्री रामपुकार सिंह, सदस्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत खाद्यान्न का अव्यवस्थित वितरण किए जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

6.याचिकाओं की प्रस्तुति

1. श्री सिद्धनाथ पैकरा, सदस्य ने सामरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जम्होर भगवतपुर में सिंचाई सुविधा हेतु सूर्या नाला में (सेमरदह) डायवर्सन निर्माण कराने के संबंध में,

2. श्री गुलाब सिंह, सदस्य ने

(क.) विकासखंड मनोरा के ग्राम पंचायत करडीह के आश्रित ग्राम सरना टोली में विद्युतीकरण कराने

(ख.) विकासखंड कांसाबेल के ग्राम मड़िया झरिया का विद्युतीकरण कराने,

3. श्री चन्द्रभान बारमते, सदस्य ने

(क.) विकासखंड मुंगेली के ग्राम दाबो से ग्राम छतन तक जर्जर मार्ग का पुनर्निर्माण कराने तथा

(ख.) विकासखंड मुंगेली के ग्राम जल्सी एवं ग्राम डोंडा के बीच मोहरंगिया नाला में पुल निर्माण कराने के संबंध में याचिका प्रस्तुत कीं।

7.वर्ष 2005-2006 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने कृषि से संबंधित मांग संख्या -13, पशुपालन विभाग से संबंधित मांग संख्या-14, मछली पालन से संबंधित मांग संख्या-16, सहकारिता विभाग से संबंधित मांग संख्या -17, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित मांग संख्या -54, न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन

से संबंधित मांग संख्या -29, भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन से संबंधित मांग संख्या-8, राजस्व विभाग से संबंधित मांग संख्या-9, पुनर्वास से संबंधित मांग संख्या-35, प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत से संबंधित मांग संख्या-58 प्रस्तुत कीं।

मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए।

मांगों पर प्रारंभ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

डॉ. शक्राजीत नायक

(सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, डॉ. बालमुकुंद देवांगन, डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव, श्रीमती रमशीला साहू

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री उदय मुदलियार, डॉ. सुभाऊ कश्यप, गणेश शंकर बाजपेयी, छतराम देवांगन, रामपुकार सिंह, लच्छुराम कश्यप, कु. कामदा जोल्हे, प्रीतम साहू, अमरजीत भगत।

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2. श्री गणेशराम भगत, वन मंत्री ने वन से संबंधित मांग संख्या -10, आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित मांग संख्या -21 प्रस्तुत की।

मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए।

मांगों पर प्रारंभ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया:-

श्री ओंकार शाह

(सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अघन सिंह ठाकुर, डॉ.रामचन्द्र सिंहदेव, छतराम देवांगन, डॉ. हरिदास भारद्वाज, डॉ. बालमुकुंद देवांगन

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री उदय मुदलियार, लच्छुराम कश्यप

(सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए।)

श्री लच्छुराम कश्यप (जारी)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री रामदयाल उईके, कु. रोजलिन बेकमेन, अमरजीत भगत, देवजी भाई पटेल

माननीय अध्यक्ष ने सदन की अनुमति से वन मंत्री की मांगों पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, नोवेल कुमार वर्मा, देवलाल दुग्गा, सत्यनारायण शर्मा।

श्री गणेशराम भगत, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 8. 28 बजे विधानसभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 17 मार्च, 2005 (फाल्गुन 26, शक सम्वत 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

◌

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

गुरुवार, दिनांक 17 मार्च, 2005

(फाल्गुन 26, 1926)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या- 2,3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, (कुल 8 प्रश्नों) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

2. बहिर्गमन

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा निजी बिल्डरों से साझेदारी संबंधी प्रश्न संख्या -8 पर चर्चा के दौरान श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 13 तारांकित एवं 23 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. सदन को सूचना

विधानसभा परिसर में आयोजित कवि सम्मेलन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को विधानसभा परिसर में दिनांक 17 मार्च, 2005 की रात्रि में कवि सम्मेलन आयोजित किये जाने की जानकारी दी।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

1. सर्वश्री उदय मुदलियार, रविन्द्र चौबे, गणेश शंकर बाजपेयी सदस्य ने माध्यमिक शिक्षा मंडल की बारहवीं बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्र की गोपनीयता भंग होने की ओर राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा का ध्यानाकर्षित किया।

श्री राजेश मूणत, राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. बहिर्गमन

माध्यमिक शिक्षा मंडल की बारहवीं बोर्ड की परीक्षा के प्रश्नपत्र की गोपनीयता भंग होने संबंधी ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

6. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

2. श्री अघनसिंह ठाकुर, सदस्य ने कांकेर नगर के मध्य बहने वाली दूध नदी के दोनों ओर भूमि के कटाव से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यानाकर्षित किया।

श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. श्री देवजी पटेल, सदस्य ने प्रदेश में विद्युत विभाग द्वारा हाई टेंशन लाईन खींचने के कार्य में अनियमितता,

2. श्री रामपुकार सिंह, सदस्य ने ग्राम पंचायत लुडेग द्वारा उठाए गए निर्माण कार्यों में अनियमितता,

3. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने ग्राम मदनपुर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने, तथा

4. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने जिला रायपुर तहसील अभनपुर आरंग के सूखाग्रस्त होने के बाद भी रोजगारमूलक कार्य व राहत कार्य न प्रारंभ किए जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

8.प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन)

श्री भरत साय, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

प्रतिवेदन इस प्रकार है:-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 2005 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया, तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए उनके समक्ष अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प क्र.	सदस्य का नाम	समय
1. (क्रमांक-14)	श्री उदय मुदलियार	45 मिनट
2. (क्रमांक-22)	श्री मोतीलाल देवांगन	1 घंटा
3. (क्रमांक-23)	श्री मोतीलाल देवांगन	45 मिनट

श्री भरत साय सभापति ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तृतीय प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9.वर्ष 2005-2006 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

1. श्री मेघाराम साहू , खाद्य मंत्री ने खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित मांग संख्या-39 प्रस्तुत कीं।

मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए।

मांगों पर प्रारंभ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

डॉ. हरिदास भारद्वाज

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री लच्छुराम कश्यप, धर्मजीत सिंह, छतराम देवांगन, उदय मुदलियार, प्रीतम साहू, श्री मती रमशीला साहू,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

श्री मेघाराम साहू, खाद्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2. श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने जल संसाधन विभाग से संबंधित मांग संख्या-23, आयाकट विभाग से संबंधित मांग संख्या-40, खेल ओर युवक कल्याण से संबंधित मांग संख्या-43, लघु सिंचाई निर्माण कार्य से संबंधित मांग संख्या-45, जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियाजनाएं से संबंधित मांग संख्या -57, जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं से संबंधित मांग संख्या-75, परिवहन से संबंधित मांग संख्या-36 प्रस्तुत कीं।

मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए।

मांगों पर प्रारंभ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री धनेन्द्र साहू

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री इंदर चोपड़ा, डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव, अघनसिंह ठाकुर, धर्मजीत सिंह,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

श्री कमलभान सिंह,

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री डां शक्राजीत नॉयक, छतराम देवांगन, नोवेल कुमार वर्मा

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

श्री उदय मुदलियार

10.घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि भोरमदेव शक्कर कारखाने का उत्पादन प्रारंभ होकर विक्रय आज से प्रारंभ किया गया है। माननीय सदस्यों को शक्कर के पैकेट का वितरण कक्ष क्र. A-1 से किया जा रहा है। कृपया हस्ताक्षर कर प्राप्त करें।

11. वर्ष 2005-2006 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

सर्वश्री डॉ. बालमुकुंद देवांगन, राजेन्द्र पामभोई, देवजी भाई पटेल, गणेश शंकर बाजपेयी, प्रीतम सिंह दीवान, विनोद खाण्डेकर, श्रीमती रमशीला साहू, प्रीतम साहू।

हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से सदन के समय में रात्रि 7.45 बजे तक वृद्धि करने की घोषणा की।

3. श्री राजेश मूणत, राज्य मंत्री लोक निर्माण ने लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल से संबंधित मांग संख्या -24, लोक निर्माण कार्य भवन से संबंधित मांग संख्या 67, लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं से संबंधित मांग संख्या-76, स्कूल शिक्षा से संबंधित मांग संख्या-27 प्रस्तुत कीं।

मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए।

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए।)

मांगों पर प्रारंभ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया:-

सर्वश्री डॉ. हरिदास भारद्वाज, विनोद खाण्डेकर। (चर्चा जारी)

रात्रि 7. 46 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 2005 (फाल्गुन 27, शक सम्वत 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

◌

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 2005

(फाल्गुन 27, 1926)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या- 1,3, 4, 5, 7,8,9,10, 11, 12, 13, 14, 16 एवं 17 (कुल 14 प्रश्नों) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 9 तारांकित एवं 35 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

प्रश्नकाल की समाप्ति पर सर्वश्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष, धर्मजीत सिंह, उदय मुदलियार, रविन्द्र चौबे, सत्यनारायण शर्मा, भूपेश बघेल तथा नंद कुमार पटेल, सदस्य ने प्रदेश के शासकीय क र्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल पर उनके द्वारा दी गई स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर चर्चा कराने तथा शासन द्वारा स्टेटमेंट दिए जाने का अनुरोध किया।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - हड़ताल के संबंध में सदन में चर्चा नहीं की जाती, इसलिए स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अग्राह्य किया गया है।

2. बहिर्गमन

श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों की हड़ताल पर स्टेटमेंट न दिए जाने के विरोध में सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया।

3. ध्यानाकर्षण- सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में 14 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को ध्यान में रखते हुए सम्मिलित किया गया है। विधानसभा नियमावली के नियम 138(3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना

जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

इस संबंध में सदन की सहमति चाही गई।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

1. श्री मोती लाल देवांगन, सदस्य ने जिला जांजगीर-चांपा के नैला-जांजगीर जल प्र दाय योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता किए जाने की ओर राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी का ध्यान का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य यात्रिकी ने इस पर वक्तव्य दिया।

पढ़ी हुई मानी गई सूचनाएं तथा वक्तव्य

2. सर्वश्री धर्मजीत सिंह, नंद कुमार पटेल, सदस्य की प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में विषाक्त मध्यान्ह भोजन से बच्चों के बीमार होने संबंधी सूचना तथा आदिम जाति कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

3. श्री मोतीलाल देवांगन, की हसदेव बांगो नहर मार्ग पर भारी वाहनों के आवाजाही से नहर पर दरारें पड़ने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

4. श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य की जिला-दुर्ग थाना नवागढ़ के ग्राम कौरकापा के एक व्यक्ति की हत्या संबंधी सूचना तथा गृहमंत्री का वक्तव्य।

5. श्री चन्द्रभान बारमते, सदस्य की जिला बिलासपुर तहसील मुंगेली में शासकीय भूमि का अवैध रूप से पट्टा वितरण किए जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

6. श्री ताम्रध्वज साहू, सदस्य की वन परिक्षेत्राधिकारी नरहरपुर एवं सरोना, जिला कांकेर द्वारा विभिन्न कार्यों में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा वनमंत्री का वक्तव्य।

7. श्री भूपेश बघेल, सदस्य की तांदुला मुख्य नहर की लाईनिंग कार्य के गुणवत्ता की गलत जांच रिपोर्ट दिये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मत्री मंत्री का वक्तव्य।

8. श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य की प्रदेश में धान भंडारण में अव्यवस्था व्याप्त होने संबंधी सूचना तथा खाद्य मंत्री का वक्तव्य।

9. श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य की प्रदेश में कोयले का अवैध उत्खनन संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

10. श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य की प्रदेश के मजदूरों को उत्तर प्रदेश ईट भट्ठा ठेकेदारों द्वारा बंधक बनाये जाने संबंधी सूचना तथा गृहमंत्री का वक्तव्य।

11. श्री भूपेश बघेल, सदस्य की जिला दुर्ग के आलबरस में ठेकेदारों द्वारा झोपड़ी जलाए जाने संबंधी सूचना तथा गृहमंत्री का वक्तव्य।

12. श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य की जिला बिलासपुर स्थित सिम्स में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव से एक बच्चे की मौत होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने लोक निर्माण विभाग के श्रमिकों के सेवानिवृत्ति नियम असंगत होने,

(2) श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने बलौदा-पतौरा सड़क जर्जर अवस्था में होने;

(3) श्रीलच्छुराम कश्यप, सदस्य ने चित्रकोट स्थित विश्रामगृह का संधारण ठीक से नहीं हो पाने,

(4) श्री रामपुकार सिंह, सदस्य ने विद्युत मंडल द्वारा कार्य अपूर्ण रखने तथा प्रस्तावित कार्यों का प्राक्कलन न तैयार किए जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं।

6. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन

कुमारी कामदा जोल्हे, सदस्य ने महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सभापति महोदय द्वारा राज्य मंत्री, लोक निर्माण की मांगों पर चर्चा हेतु श्री विनोद खाण्डेकर, सदस्य का नाम पुकारने पर सर्वश्री रविन्द्र चौबे, डॉ. शिवकुमार डहरिया, डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव, ध र्मजीत सिंह, सदस्य ने आसंदी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि अधिकारी दीर्घा रिक्त होने से सदस्यों द्वारा दिए सुझावों को ठीक से नोट नहीं किया जा सकेगा।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वस्त किया कि सभी सदस्यों के सुझावों को नोट कर उनका उत्तर दिया जाएगा।

7. बहिर्गमन

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा लोक निर्माण विभाग की मांगों पर चर्चा होने के समय अधिकारी दीर्घा रिक्त होने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

8. वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा(क्रमश:)

(1) श्री राजेश मूणत, राज्य मंत्री, लोक निर्माण की मांगों पर पुनर्ग्रहीत चर्चा में नि म्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

सर्वश्री विनोद खाण्डेकर, ताम्रध्वज साहू, डॉ. बालमुकुंद देवांगन, धर्मजीत सिंह, देवजी भाई पटेल, उदय मुदलियार, नोवेल कुमार वर्मा,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अघन सिंह ठाकुर, ओंकार शाह, श्रीमती रमशीला साहू, लच्छुराम कश्यप।

श्री राजेश मूणत, राज्यमंत्री, लोक निर्माण ने चर्चा का उत्तर दिया।

मांगों पर मत लिया गया

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित मांग संख्या -19, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं से संबंधित मांग संख्या 61, चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित मांग संख्या-79 प्रस्तुत कीं।

मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए।

मांगों पर प्रारंभ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

डॉ. चेतन वर्मा,

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री डॉ. बालमुकुंद देवांगन, धर्मजीत सिंह, अघनसिंह ठाकुर, डॉ. हरिदास भारद्वाज, चन्दूलाल साहू, रामपुकार सिंह, देवजी भाई पटेल, उदय मुदलियार,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

श्री देवलाल दुग्गा।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने चर्चा का उत्तर दिया।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

९. अशासकीय संकल्प

(1) प्रदेश में कार्यरत समस्त उद्योगों का मुख्यालय छत्तीसगढ़ में रखा जाना अनिवार्य किया जाना।

श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि - सदन का यह मत है कि प्रदेश में कार्यरत समस्त उद्योगों का मुख्यालय छत्तीसगढ़ में ही रखा जाना

अनिवार्य किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री देवजी पटेल, डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव।

श्री अमर अग्रवाल, उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प वापस हुआ।

(2) प्रदेश में कार्यरत कोयला खनन कंपनियों पर क्षेत्रीय विकास कर लगाया जाकर उक्त राशि उसी क्षेत्र के विकास पर खर्च की जाना ।

श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि - सदन का यह मत है कि प्रदेश में कार्यरत कोयला खनन कंपनियों पर क्षेत्रीय विकास कर लगाया जाकर उक्त राशि उसी क्षेत्र के विकास पर खर्च की जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री देवलाल दुग्गा, डॉ. हरिदास भारद्वाज, महेन्द्र कर्मा।

डॉ. रमन सिंह , मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प वापस हुआ।

(3) छत्तीसगढ़ राज्य में सैनिक स्कूल शीघ्र स्थापित किया जाना ।

श्री उदय मुदलियार, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि - यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में सैनिक स्कूल शीघ्र स्थापित किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री छतराम देवांगन, देवव्रत सिंह।

श्री राजेश मूणत, राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प पर मत लिया गया ।

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

रात्रि 6. 32 बजे विधानसभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2005 (फाल्गुन 30, शक सम्वत 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2005

(फाल्गुन 30, 1926)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 18, 19 एवं 20 (कुल 14 प्रश्नों) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

लोकमान्य गृह निर्माण सहकारी संस्था रोहणीपुरम, रायपुर में व्यावसायिक परिसर का निर्माण संबंधी प्रश्न संख्या-2 पर चर्चा के दौरान श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य के प्रश्न के उत्तर में संसदीय सचिव, कृषि ने व्यक्त किया कि इस प्रकरण पर मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तथा स दन की समिति भी जांच कर रही है अत: प्रश्न करना उचित नहीं है।

2. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि जो प्रश्न स्वीकृत हुआ है, उसका उत्तर तो माननीय मंत्री को देना ही है। जांच समिति किन बिन्दुओं पर बनी है वह पृथक विषय है। जब प्रश्न का कोई हिस्सा सब-ज्यूडिश है तो इस संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में ही पत्र लिखकर इस बात की सूचना विधानसभा को देनी चाहिए और इसकी अनुमति लेनी चाहिए। इसलिए कृपया इस प्रश्न का उत्तर दें या संसदीय कार्य मंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करें।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि स्थिति से सदन को अवगत करा ि दया जायेगा।

3. बहिर्गमन

प्रदेश में कम वर्षा से प्रभावित तहसीलों संबंधी प्रश्न संख्या-20 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में स दन से बहिर्गमन किया गया।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 21 तारांकित एवं 37 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

1. सर्वश्री गणेश शंकर बाजपेयी, उदय मुदलियार, सदस्य ने जिला रायपुर के ग्राम गिं दौला में अज्ञात बीमारी से चार बच्चों की मौत होने की ओर राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने इस पर वक्तव्य दिया।

2. सर्वश्री मोहम्मद अकबर, भूपेश बघेल, सदस्य ने रायपुर शहर स्थित विपणन संघ की भूमि अवैध रूप से व्यवसायियों को दिए जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यानाकर्षित किया।

श्री पूनम चंद्राकर, संसदीय सचिव, सहकारिता ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने अकलतरा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत नरिचरा ग्राम में 33 के.व्ही.का सब-स्टेशन निर्माण किए जाने;

(2) श्रीमती रमशीला साहू, सदस्य ने गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पाहदा, भरर, झाड़मोखली, झींका तथा बोरबाय के सुराज बांध का जीर्णोद्धार किए जाने;

(3) महंत रामसुंदर दास, सदस्य ने अकलतरा नगर में गंदगी व्याप्त होने ; तथा

(4) श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने जिला-रायपुर, विकासखंड अभनपुर तथा आरंग के हैण्डपंप खराब होने

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री गणेश शंकर बाजपेयी, सदस्य ने विधानसभा क्षेत्र बलौदा बाजार के -

(क) ग्राम मोपर से ग्राम आमाकोनी मार्ग पर बंजारी नाला में पुल निर्माण कराने,

(ख) ग्राम मिरगी से तुरमा मार्ग पर बंजारी नाला में उच्चस्तरीय पुल निर्माण कराने,

(2) श्री लच्छुराम कश्यप, सदस्य ने विधानसभा क्षेत्र चित्रकोट के ग्राम बिन्ता एवं उससे लगे गांवों में विद्युतीकरण कराने,

(3) श्री सियाराम कौशिक, सदस्य ने विधानसभा क्षेत्र बिल्हा के -

(क) ग्राम महुदा से लुकउकापा-टिकैत पेण्ड्री पहुंच मार्ग पर डब्लू.बी.एम. सड़क निर्माण कराने,

(ख) ग्राम किरना से ग्राम मदवानी पहुंच मार्ग पर डब्लू.बी.एम. सड़क नि र्माण कराने

तथा

(4) श्री उदय मुदलियार, सदस्य ने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव के ग्राम भर्रेगांव एवं ग्राम रवेली के बीच शिवनाथ नदी पर स्टाप डेम कम रपटा निर्माण कराने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत कीं।

7. औचित्य प्रश्न और व्यवस्था

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने औचित्य प्रश्न उठाते हुए आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर विधेयक, 2005 के साथ वित्तीय ज्ञापन नहीं लगा है। इसलिए इसे प्रस्तुत करने की अनुमति न दी जाए।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि चूंकि इस विधेयक में कोई व्यय अंतर्ग्रस्त नहीं है इसलिए वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता नहीं है।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर विधेयक, 2005

श्री पूनम चंद्राकर, संसदीय सचिव, राजस्व ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर विधेयक, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2005) पुर:स्थापित किया।

9. वर्ष 2005-2006 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

1. श्री केदार कश्यप, राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से संबंधित मांग संख्या-20 प्रस्तुत की।

मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए।

मांगों पर प्रारंभ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

डॉ. हरिदास भारद्वाज।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री छतराम देवांगन

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री उदय मुदलियार, देवजी भाई पटेल, गणेश शंकर बाजपेयी, नोवेल कुमार वर्मा, धर्मजीत सिंह, अघनसिंह ठाकुर।

श्री केदार कश्यप, राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ने
चर्चा का उत्तर दिया।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2. श्रीमती रेणुका सिंह, राज्यमंत्री, महिला एवं समाज कल्याण ने समाज कल्याण से संबंधित मांग संख्या-34 तथा महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित मांग संख्या-55 प्रस्तुत की।

मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए।

मांगों पर प्रारंभ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

सर्वश्री डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्रीमती रमशीला साहू, महंत रामसुंदर दास, कु. रोजलिन बेकमेन, कु. लता उसेण्डी।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

श्रीमती रेणुका सिंह, राज्यमंत्री, महिला एवं समाज कल्याण
ने चर्चा का उत्तर दिया।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2005

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2005 (क्रमांक 3 सन् 2005) पुर:स्थापित किया।

11.घोषणा

उत्कृष्टता पुरस्कार

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की, कि मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि विधानसभा द्वारा स्थापित उत्कृष्ट विधायक एवं उत्कृष्ट पत्रकार पुरस्कार हेतु गठित समितियों ने वर्ष 2004-2005 के लिए उत्कृष्ट विधायक हेतु श्री रविन्द्र चौबे व श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य तथा उत्कृष्ट पत्रकार पुरस्कार हेतु दैनिक हरिभूमि के श्री चन्द्रभूषण मिश्रा का नाम अनुशंसित किया है, जिसे मैंने स्वीकार किया है

पुरस्कार वितरण दिनांक 23 मार्च, 2005 को रात्रि 8.00 बजे महामहिम राज्यपाल द्वारा किया जायेगा।

सायं 4. 00 बजे विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 22 मार्च, 2005 (चैत्र -1 , शक स म्वत 1927) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

मंगलवार, दिनांक 22 मार्च, 2005

(चैत्र 1, 1927)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. नववर्ष की शुभकामनाएं

कार्यवाही प्रारंभ होते ही माननीय अध्यक्ष ने भारतीय समय चक्रानुसार नववर्ष प्रारंभ होने पर समस्त सदस्यों को शुभकामनाएं दीं।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या- 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19 एवं 20 (कुल 13 प्रश्नों) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 12 तारांकित एवं 31 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग का तृतीय प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004

श्री सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव (मुख्यमंत्री से संबद्ध) ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (क्रमांक-10 सन् 1994) की धारा-28 की उप धारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग का तृतीय प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004 तथा उस पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही/प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण पटल पर रखा।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में तीन ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किए जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

इस संबंध में सदन की सहमति चाही गई।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

1. श्री अमरजीत भगत, सदस्य ने जिला कांकेर भैंसा कन्हार में लौह-अयस्क उद्योग लगाने हेतु प्रदाय पट्टे के खनिज को खुले बाजार में बेंचे जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव (मुख्यमंत्री से संबद्ध) ने इस पर वक्तव्य दिया।

2. श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य ने भू-माफियाओं द्वारा राजधानी रायपुर की सैकड़ों एकड़ ज मीन पर अवैध कब्जा किए जाने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री राजेन्द्र पामभोई, सदस्य ने बैलाडीला से गुजरने वाली नदियों के प्रदूषण से जन सामान्य के स्वास्थ्य पर असर होने;

(2) श्रीमती रमशीला साहू, सदस्य ने तांदुला नहर के गब्दी माईनर का जीर्णोद्धार किए जाने;

(3) श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने अकलतरा विधानसभा क्षेत्र की उद्वहन सिंचाई योजना का क्रियान्वयन किए जाने;

(4) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने शासन द्वारा पिछड़े वर्गों के कल्याण व उनके आरक्षण पर ध्यान न दिए जाने; तथा

(5) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने जिला कबीरधाम के निर्माण कार्यों में ली गई ज मीन के बदले मुआवजा/भूमि न दिए जाने;

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढी।

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

आश्वासन, प्रश्न एवं संदर्भ तथा सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति के प्रतिवेदन

1. डॉ. बालमुकुंद देवांगन, सभापति ने आश्वासन समिति का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

2. श्री विजय अग्रवाल, सभापति ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति का प्रथम कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

3. श्री देवलाल दुग्गा, सभापति ने सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -2) विधेयक, 2005

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2005 (क्रमांक -3 सन् 2005) पर विचार किया जाए।

8. घोषणा

विनियोग विधेयक पर समय आबंटन तथा भोजनावकाश का निरस्तीकरण

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से घोषणा की कि विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम-158(2) के अनुसार विनियोग विधेयक आज सायं 5.30 बजे तक पारित होना है। इस दृष्टि से विधेयक पर चर्चा के लिए लगभग 3 घंटे 30 मिनट का समय उपलब्ध रहेगा। इस दृष्टि से विभिन्न दलों के लिए निम्नानुसार समय उपलब्ध रहेगा:-

1.	भारतीय जनता पार्टी	2 घंटे
2.	कांग्रेस	1 घंटा 21 मिनट
3.	बहुजन समाज पार्टी	6 मिनट
4.	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी	3 मिनट

उक्त समय में माननीय मंत्री जी के उत्तर का समय भी शामिल है। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया समय सीमा का ध्यान रखकर अपनी बात कहें। सदस्यों द्वारा अधिक समय का अनुरोध किए जाने पर माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से भोजनावकाश स्थगित किया।

6. उत्कृष्टता पुरस्कार पर बधाई

वर्ष 2004-2005 के लिए श्री रविन्द्र चौबे एवं श्री देवजी भाई पटेल को उत्कृष्ट विधायक तथा दैनिक हरिभूमि के श्री चन्द्रभूषण मिश्रा को उत्कृष्ट पत्रकार पुरस्कार हेतु चयन किए जाने पर डॉ. र मन सिंह, मुख्यमंत्री, श्री महेन्द्र कर्मा नेता प्रतिपक्ष, श्री बृजमोहन अग्रवाल, गृहमंत्री तथा माननीय अध्यक्ष ने बधाई दी।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -2) विधेयक, 2005

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री रविन्द्र चौबे,

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री देवलाल दुग्गा, सत्यनारायण शर्मा, छतराम देवांगन

(सभापति महोदय (श्री अघनसिंह ठाकुर) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, देवजी भाई पटेल, नोवेल कुमार वर्मा, विजय अग्रवाल

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री नंद कुमार पटेल, अघनसिंह ठाकुर, लच्छुराम कश्यप,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री उदय मुदलियार, महेन्द्र कर्मा।

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खण्ड 2,3 व अनुसूची विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2005 पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

सायं 5.20 बजे विधानसभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 23 मार्च, 2005 (चैत्र -2, शक स म्वत 1927) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

बुधवार, दिनांक 23 मार्च, 2005

(चैत्र 2, 1927)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या- 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 एवं 22 (कुल 17 प्रश्नों) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

2. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

अध्यक्षीय दीर्घा में विराजमान छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व सदस्य व नेता प्रतिपक्ष एवं वर्त मान सांसद श्री नंद कुमार साय का सदन द्वारा अभिनंदन किया गया।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 30 तारांकित एवं 42 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. घोषणा

उत्कृष्टता पुरस्कार तथा साहित्य वितरण

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि महामहिम राज्यपाल महोदय के मुख्य आतिथ्य में आज विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में रात्रि 8.00 बजे उत्कृष्ट विधायक एवं उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार को सम्मानित किया जाएगा तथा विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित सदस्य परिचय (द्वितीय) पुस्तक का विमोचन होगा। कार्यक्र म में प्रदेश की प्रथम महिला श्रीमती वीणा सेठ भी उपस्थित रहेंगी। इस अवसर पर होली की पूर्व बेला में फाग कार्यक्रम तथा तत्पश्चात् अध्यक्ष विधानसभा द्वारा रात्रिभोज का आयोजन किया गया है।

कार्यक्रम एवं रात्रिभोज में आप सादर आमंत्रित हैं।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा माननीय सदस्यों को पुस्तकों का एक संग्रह भेंट किया जा रहा है। सदस्यगण कक्ष क्र A-1 से प्राप्त करने का कष्ट करें।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

मध्यप्रदेश स्टेट वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन का 46 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब-पत्रक, वित्तीय वर्ष 2002-2003

श्री मेघाराम साहू, खाद्य मंत्री ने वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 की धारा-31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन का 46 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब-पत्रक, वित्तीय वर्ष 2002-2003 पटल पर रखा।

5. औचित्य प्रश्न और व्यवस्था

श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष ने औचित्य प्रश्न उठाते हुए अनुरोध किया कि दिनांक 15.3.2005 को सदन में जिला रायपुर के ग्राम मोवा में स्थित सहकारी समिति द्वारा बिना अनुमति के हजारों टन धान खरीदी संबंधी ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा के दौरान खाद्य मंत्री ने आश्वस्त किया था कि 22.3.2005 तक संपूर्ण जानकारी पटल पर रख दी जायेगी, लेकिन उन्हें उक्त आशय की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, अत: सरकार तत्काल जानकारी दे।

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि माननीय मंत्री की ओर से समय वृद्धि का अनुरोध-पत्र प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है।

सर्वश्री डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव, धर्मजीत सिंह, नंद कुमार पटेल, चन्द्रभान बारमते, भूपेश बघेल, सदस्य ने भी जानकारी तत्काल दिये जाने पर बल दिया।

माननीय अध्यक्ष ने प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम -263 ख के परन्तुक का उद्धरण देते हुए उल्लेख किया कि **परंतु मंत्री द्वारा सदन के पटल पर रखे जाने वाला दस्तावेज यदि निर्धारित अवधि के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है तो मंत्री ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करने के साथ ही विलंब से प्रस्तुत करने के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी प्रस्तुत करेगा।** इसी तारतम्य में मंत्री जी का अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है।

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, नंद कुमार पटेल, डॉ. रामचंद्र सिंहदेव, डॉ. शिवकुमार डहरिया, भूपेश बघेल, सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने आग्रह किया कि सरकार एक सप्ताह का आश्वासन देकर जानकारी प्रस्तुत नहीं कर रही है।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि यह ध्यान देने योग्य है कि अगर सरकार के द्वारा सदन में कोई घोषणा निश्चित समयावधि के संबंध में की जाती है तो उसको पूरा करने का प्रयास भी करना चाहिए। चूंकि मंत्री जी का अनुरोध-पत्र आया है और वह उनके विचारण में है ।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाये गए।)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि- धान खरीदी में यदि भ्रष्ट्राचार में कोई आरोपी होगा तो उसे नहीं बख्शा जाएगा तथा जानकारी प्रस्तुत करने में आसंदी के निर्देश का पालन किया जाएगा तथा पिछले चार वर्षों में हुई धान खरीदी पर श्वेत-पत्र जारी करने का उल्लेख किया।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि उनके समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर वे अपराह्न में व्यवस्था देंगे।

6. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138(3) को शिथिल करके उन्होंने आज की कार्यसूची में चार ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किए जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

इस संबंध में सदन की सहमति चाही गई।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

1. श्री महंत रामसुन्दर दास, सदस्य ने प्रदेश की शालाओं में संस्कृत विषय के शिक्षकों की कमी होने की ओर राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेश मूणत, राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ने इस पर वक्तव्य दिया।

2. सर्वश्री भूपेश बघेल, नंद कुमार पटेल, उदय मुदलियार, सदस्य ने जिला रायपुर, जनपद तिल्दा, ग्राम - सरोरा गो सदन के पास स्पंज आयरन कारखाना स्थापित किए जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, उद्योग मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

3. सर्वश्री इंदर चोपड़ा, देवजी पटेल, विजय अग्रवाल, सदस्य ने गजानन महाविद्यालय, भाटापारा में अनाधिकृत कब्जा होने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 9 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज दिनांक 23.3.2005 को सदन में लिए जाने की अनुज्ञा प्रदान करता हूं।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा।

1. श्री इंदर चोपड़ा, सदस्य की ग्राम पंचायत सकोला, जिला बिलासपुर में निर्मित पानी टंकी के लिए उच्च क्षमता के बिजली पंप स्वीकृत किए जाने संबंधी सूचना;

2. श्री रामदयाल उईके, सदस्य की ग्राम घोंसरा, जिला कोरबा के कृषकों को मुआवजा राशि न मिल पाने संबंधी सूचना;

3. श्री लच्छुराम कश्यप, सदस्य की आदिवासी छात्रों को छात्रावास भवन के अभाव में मूलभूत -सुविधा नहीं मिल पाने संबंधी सूचना;

4. श्री अमरजीत भगत, सदस्य की जिला बस्तर के आदिवासियों के ईमली उत्पादन व संग्रहण का उचित मूल्य दिए जाने संबंधी सूचना;

5. श्री चुरावन मंगेशकर, सदस्य की वन विभाग के कैलेण्डर को प्रायवेट प्रिंटिंग प्रेस में छपवाए जाने संबंधी सूचना;

6. श्री विनोद खांडेकर, सदस्य की आदिम जाति कल्याण विभाग के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों व्याख्याताओं की कमी होने संबंधी सूचना;

7. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य की मांढर कालोनी, जनपद पंचायत धरसींवा, जिला रायपुर की प्राथमिक शाला में शिक्षकों की कमी होने संबंधी सूचना;

8. श्री छतराम देवांगन, सदस्य की बलौदा विकासखंड में फीडर कार्य पूरा किए जाने संबंधी सूचना;

9. श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य की जिला कबीरधाम की विभिन्न सिंचाई योजनाओं में ली गई जमीन के प्रभावितों को मुआवजा न मिलने संबंधी सूचना;

8. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

याचिका तथा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

1. श्री देवजी भाई पटेल, सभापति ने याचिका समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

2. श्री भरत साय, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का (सदन द्वारा पारित अशासकीय संकल्पों पर कार्यवाही संबंधी) प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने न्यू राजेन्द्र नगर, सेक्टर -7, रायपुर में सड़क का डामरीकरण कराने; तथा

(2) डॉ.शिवकुमार डहरिया, सदस्य ने आर.डी.ए. कालोनी, टिकरापारा, रायपुर में पीने का पानी दो समय तथा उच्च दाब से उपलब्ध कराने,

के संबंध में याचिका प्रस्तुत कीं।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से शासन ओर से प्राप्त 5 विधेयकों की सूचनाओं पर चर्चा एवं पारण उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित किया:-

विधेयक	निर्धारित समय
1. भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2005	

	(क्रमांक 2 सन् 2005)	30 मिनट
2.	छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर विधेयक, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2005	30 मिनट
3.	छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 5 सन् 2005)	30 मिनट
4.	छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2005)	1 घंटा
5.	छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 7 सन् 2005)	15 मिनट

माननीय अध्यक्ष ने निम्नांकित विधेयकों की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए स्थायी आदेश क्रमांक -23 (2) तथा 24 को शिथिल कर उन्हें आज ही पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की :-

1. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 5 सन् 2005),

2. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2005) तथा

3. छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक-7 सन् 2005)

1. श्री ननकीराम कंवर, राजस्व मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 5 सन् 2005) पुर:स्थापित किया।

2. श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2005) पुर:स्थापित किया।

3. श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक-7 सन् 2005) पुर:स्थापित किया।

(1.24 से 3.02 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

4. श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री डॉ. हरिदास भारद्वाज, इंदर चोपड़ा, रविन्द्र चौबे।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंडश: विचार हुआ।

खंड 2 विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - भारतीय स्टा म्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

5. श्री ननकीराम कंवर, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर विधेयक, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2005) पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री डॉ. हरिदास भारद्वाज, विजय अग्रवाल ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंडश: विचार हुआ।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खंड -8 में इस प्रकार संशोधन किया जाए -

1. प्रथम परन्तुक में **3 वर्ष** के स्थान पर **5 वर्ष,** तथा

2. द्वितीय परन्तुक में **पचास प्रतिशत** के स्थान पर **दस प्रतिशत**

प्रतिस्थापित किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संशोधन प्रस्ताव पर मत लिया गया।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड-8 विधेयक का अंग बना।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खंड -3 की अनुसूची -एक में इस प्रकार संशोधन किया जाए -धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अनुसूची 1 के अनुक्रमांक 1, 2, 3 के स्तंभ-

(3) (विकास एवं उपकर की दर) में -

1. **वार्षिक खनिज प्रेषण पर 5 रू. प्रतिटन** के स्थान पर **वार्षिक खनिज प्रेषण पर 1 रू. प्रतिटन**,

2. **वार्षिक देय रायल्टी की 5 प्रतिशत राशि** के स्थान पर **वार्षिक देय रायल्टी की 1 प्रतिशत राशि**, तथा

3. **वार्षिक देय भू-राजस्व या भू-भाटक, यथास्थिति, की राशि का 5 प्रतिशत** के स्थान पर **वार्षिक देय भू-राजस्व या भू-भाटक, यथास्थिति, की राशि का 1 प्रतिशत** किया जाए, तथा

संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री ननकीराम कंवर, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संशोधन प्रस्ताव पर मत लिया गया।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

अनुसूची-एक विधेयक का अंग बनी।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खंड -4 की अनुसूची -दो में इस प्रकार संशोधन किया जाए -

धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत अनुसूची 2 के अनुक्रमांक 1, 2, 3 के स्तंभ-(3) (पर्यावरण उपकर की दर) में -

1. **वार्षिक खनिज प्रेषण पर 5 रू. प्रतिटन** के स्थान पर **वार्षिक खनिज प्रेषण पर 1 रू. प्रतिटन**,

2. **वार्षिक देय रायल्टी की 5 प्रतिशत राशि** के स्थान पर **वार्षिक देय रायल्टी की 1 प्रतिशत राशि**, तथा

3. **वार्षिक देय भू-राजस्व या भू-भाटक, यथास्थिति, की राशि का 5 प्रतिशत** के स्थान पर **वार्षिक देय भू-राजस्व या भू-भाटक, यथास्थिति, की राशि का 1 प्रतिशत** किया जाए, तथा

संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री ननकीराम कंवर, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संशोधन प्रस्ताव पर मत लिया गया।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

अनुसूची-दो विधेयक का अंग बनी।

खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 9 विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री ननकीराम कंवर, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर विधेयक, 2005 पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

11. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि -

सदन को स्मरण होगा कि आज सभा में प्रश्नकाल के पश्चात् माननीय नेता प्रतिपक्ष ने माननीय खाद्य मंत्री एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2005 को सदन में राजधानी रायपुर, ग्राम मोवा में तथाकथित सहकारी समिति द्वारा बिना अनुमति के 3933 मेट्रिक टन धान खरीदी संबंधी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ध्यानाकर्षण की सूचना के संबंध में समस्त जानकारी एक सप्ताह की अवधि में सभा पटल पर रखने के कथन की ओर ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने इस ओर भी ध्यान आकर्षित किया कि संसदीय कार्य मंत्री श्री अजय चंद्राकर ने भी एक सप्ताह के अंदर जानकारी सभा पटल पर रखने का कथन कहा था। मैंने तत्समय सदन का ध्यान प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 263(ख) के परन्तुक की ओर आकर्षित किया था **परंतु मंत्री द्वारा सदन के पटल पर रखे जाने वाला दस्तावेज यदि निर्धारित अवधि के पश्चात् प्रस्तुत किया है तो मंत्री ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करने के साथ ही विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी प्रस्तुत करेगा।**

मैंने सभा को यह भी जानकारी दी थी कि मुझे माननीय खाद्य मंत्री जी की ओर से एक अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है, जो मेरे विचाराधीन है और मुझे उस पर अभी निर्णय लेना है। चर्चा के दौरान माननीय नेता प्रतिपक्ष ने मुझसे यह अनुरोध किया था कि आसंदी मंत्री जी को निर्देशित करे कि आज शाम तक इसकी जानकारी दे दें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी चर्चा में अपने विचार व्यक्त करते हुए सदन को यह आश्वासन दिया कि - **मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी इस सदन में कह रहा हूं कि धान खरीदी छत्तीसगढ़ की अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यदि इसमें कहीं पर भी कोई व्यक्ति लिप्त है, कोई सोसायटी लिप्त है तो उस पर कोताही बरतने का कोई प्रश्न नहीं उठता। मैं सदन को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आप जो निर्देश जारी करेंगे सरकार उसका पालन करेगी।** माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय नेता प्रतिपक्ष के श्वेत पत्र के अनुरोध को भी सभा में स्वीकार किया।

माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् मैंने यह व्यवस्था दी थी कि मैं अपराह्न में इस विषय पर अपनी व्यवस्था दूंगा। मैंने दिनांक 15 मार्च, 2005 को ध्यानाकर्षण पर हुई चर्चा, माननीय मंत्री से प्राप्त अनुरोध पत्र एवं आज दिनांक 23 मार्च, 2005 को सदन में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

मैंने आज सदन में पूर्वाह्न में भी अपना यह मत व्यक्त किया था कि **-अगर सरकार के द्वारा सदन में घोषणा किसी निश्चित समयावधि के लिए की जाती है तो सरकार को उसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।** दिनांक 15 मार्च, 2005 को सभा में चर्चा के दौरान प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण सूचना में उल्लेखित सोसायटी द्वारा धान खरीदी में सदन की जांच समिति बनाने का अनुरोध किया था इस पर माननीय मंत्री जी ने यह कथन किया था कि **मैं उसकी पूरी जानकारी एक सप्ताह के भीतर रख दूंगा, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है।** माननीय मंत्री जी से मुझे आज जो पत्र प्राप्त हुआ है, उसमें उन्होंने यह प्रकट किया है कि - **उपरोक्त समिति द्वारा खरीदी गई धान की कृषकवार जानकारी जो कलेक्टर के द्वारा उन्हें प्राप्त हुई है वह पूर्ण एवं स्पष्ट नहीं है और आश्वासन के अनुरूप भी नहीं है तथा कृषकवार परीक्षण करने एवं तद्उपरांत संकलित जानकारी प्रस्तुत करने में एक माह का समय लग सकता है, अत: एक माह की अतिरिक्त समयावधि प्रदान करने का कष्ट करें।**

आज सभा में पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के इस सबसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचारों में भी यह व्यक्त किया कि धान खरीदी में किसी भी प्रकार की कोताही या भ्रष्ट्राचार को प्रश्रय नहीं दिया जाएगा। प्रदेश की जनता का भी इस सदन पर विश्वास अक्षुण्ण है और यही कारण है कि सदस्यों ने सदन की समिति से जांच कराने का अनुरोध किया था।

पूर्व पैरा में उल्लेखित तथ्यों एवं सभा में दिनांक 15 मार्च, 2005 को माननीय खाद्य मंत्री जी द्वारा यह कथन कि पूरी जानकारी एक सप्ताह के भीतर रख दूंगा, इसलिए सदन की जॉच समिति की आवश्यकता नहीं है, जिसकी कि वे पूर्ति नहीं कर सके, के आधार पर, मैं, छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि विकास एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, प्रगति नगर, मोवा, के द्वारा धान खरीदी के प्रकरण की जांच 3 सदस्यीय सदन की जांच समिति से कराने की घोषणा करता हूं। समिति के स दस्यों के नामों की घोषणा मैं सदन के नेता एवं नेता प्रतिपक्ष से चर्चा कर पश्चात् घोषित करूंगा।

सायं 4.01 बजे विधानसभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 24 मार्च, 2005 (चैत्र -3 , शक स म्वत 1927) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

गुरुवार, दिनांक 24 मार्च, 2005

(चैत्र 3, 1927)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21एवं 22 (कुल 16 प्रश्नों) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

2. बहिर्गमन

राज्य की अशासकीय स्वयंसेवी संस्थाओं की संख्या एवं उन्हें प्राप्त विदेशी सहायता संबंधी प्रश्न संख्या -6 पर चर्चा के दौरान श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 12 तारांकित एवं 28 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3.दंतेवाड़ा हैलीपेड पर श्री राजनारायण सिंह, आरक्षक की नक्सलियों द्वारा की गई हत्या पर गृहमंत्री का वक्तव्य

श्री बृजमोहन अग्रवाल, गृहमंत्री ने श्री राजनारायण सिंह, आरक्षक की नक्सलियों द्वारा दिनांक 23.3.2005 को दंतेवाड़ा हैलीपेड पर की गई हत्या पर वक्तव्य दिया।

श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की तथा श्री चिन्तामणि महाराज, अध्यक्ष, संस्कृति बोर्ड को नामित पद से बर्खास्त करने तथा उस पर वक्तव्य देने की मांग की।

4. बहिर्गमन

श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा श्री चिन्तामणि महाराज के संबंध में सरकार द्वारा वक्तव्य न दिए जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

5.ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में 22 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को ध्यान में रखते हुए सम्मिलित किया गया है। विधानसभा नियमावली के नियम 138(3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

इस संबंध में सदन की अनुमति चाही गई।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

(1) सर्वश्री देवजी पटेल, उदय मुदलियार, विक्रम उसेंडी, सदस्य ने जिला रायपुर के मंदिर हसौद क्षेत्र में मोनेट इस्पात संयंत्र द्वारा प्रदूषण फैलाने से उत्पन्न स्थिति की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गणेश राम भगत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री महेन्द्र कर्मा, सदस्य ने राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के संचालक द्वारा एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री विनोद खांडेकर, सदस्य ने जिला राजनांदगांव में मधुवन योजना शेड क्रय में अनियमितता किये जाने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रामविचार नेताम, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) सर्वश्री उदय मुदलियार, मोहम्मद अकबर, धर्मजीत सिंह, सदस्य ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रायपुर में नियुक्ति तथा पदोन्नति में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पूनम चन्द्राकर, संसदीय सचिव, सहकारिता ने इस पर वक्तव्य दिया।

पढ़ी हुई मानी गई सूचनाएं तथा वक्तव्य

(5) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य की रायपुर जिले के ग्राम मोहतरा के किसान द्वारा आत्महत्या किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(6) श्री गुलाब सिंह, सदस्य की जिला राजनांदगांव के अंबागढ़ चौकी वन परिक्षेत्र में कीमती लकड़ी की अवैध कटाई किये जाने के संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य।

(7) श्री रजिन्दर पाल सिंह भाटिया, सदस्य की राजनांदगांव वन मंडल में वन भूमि की गिट्टी का अवैध उत्खनन किये जाने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य।

(8) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य की राजधानी निर्माण हेतु अनेक गांवों की जमीन की खरीदी-बिक्री पर प्रतिबंध से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य।

(9) सर्वश्री उदय मुदलियार, धर्मजीत सिंह, चुरावन मंगेशकर, सदस्य की राज्य के कर्मचारियों को केन्द्र के समान महंगाई भत्ता एवं मकान भाड़ा दिये जाने संबंधी सूचना तथा वित्त मंत्री का वक्तव्य।

(10) श्री अघन सिंह ठाकुर, सदस्य की प्रदेश में खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों की कमी होने संबंधी सूचना तथा राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का वक्तव्य।

(11) श्री राजेन्द्र पामभोई, सदस्य की जिला दंतेवाड़ा, विकासखंड भैरमगढ़ ग्राम मटासी एवं मंगनार में तालाब निर्माण में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य।

(12) श्री अमरजीत भगत, सदस्य की प्रदेश में बोर्ड (होर्डिंग) क्रय करने में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य।

(13) सर्वश्री मोहम्मद अकबर, उदय मुदलियार, सदस्य की जिला राजनांदगांव में किसानों को नलकूप उत्खनन हेतु अनुमति न मिलने संबंधी सूचना तथा कृषि मंत्री का वक्तव्य।

(14) सर्वश्री देवजी पटेल, त्रिलोचन पटेल, सदस्य की प्रदेश में डब्बा बंद खाद्य सामग्रियों के विक्रय में अनियमितता संबंधी सूचना तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का वक्तव्य।

(15) श्री उदय मुदलियार, सदस्य, जिला धमतरी के किसान राईस मिल में बारिश से चावल एवं कनकी के खराब होने संबंधी सूचना तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का वक्तव्य।

(16) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, जिला रायपुर के ग्राम उरकुरा से एक बालक को तेन्दुआ द्वारा उठा ले जाने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य।

(17) श्री उदय मुदलियार, सदस्य की राजनांदगांव शहर में विडियो गेम संचालक द्वारा केसिनो संचालित किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(18) सर्वश्री नंद कुमार पटेल, मोतीलाल देवांगन, सदस्य की प्रदेश में हो रही अवैध शराब की बिक्री संबंधी सूचना तथा वाणिज्यिक कर मंत्री का वक्तव्य।

(19) श्री देवजी पटेल, सदस्य की विकासखंड धरसींवा, ग्राम बोरझरा की जमीन को बजरंग एलायंस द्वारा कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(20) श्री ओंकार शाह, सदस्य की विद्यार्थियों को गणवेश न दिये जाने संबंधी सूचना तथा आदिम जाति कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(21) श्री अमरजीत भगत, सदस्य की विधायक के गनमेन के साथ मारपीट किये जाने संबंधी सूचना तथा गृहमंत्री का वक्तव्य।

(22) श्री महेन्द्र कर्मा, सदस्य की रायगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली काटे जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा मुख्य मंत्री का वक्तव्य।

6.नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 6 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज दिनांक 24.3.2005 को सदन में लिए जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जाएगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा:-

1. श्री लच्छुराम कश्यप, सदस्य की बस्तर जिले में मटमैला पानी का सेवन करने को आदिवासी मजबूर होने संबंधी सूचना;

2. श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य की मुख्य नगर पालिका अधिकारी, बालौद द्वारा दैनिक वेतनभोगियों को बिना वजह निकाले जाने संबंधी सूचना;

3. श्री छतराम देवांगन, सदस्य की जांजगीर जिले के शिक्षकों के वेतनमान व गृह भाड़ा भत्ता निर्धारण में विसंगति दूर किए जाने संबंधी सूचना;

4. श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य की उप संचालक, स्कूल शिक्षा, रायपुर के विरूद्ध कार्यवाही न किए जाने संबंधी सूचना;

5. श्री उदय मुदलियार, सदस्य की मार्कफेड संचालक द्वारा भारी भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की जाने संबंधी सूचना; तथा

6. श्री योगेश्वर राज सिंह,सदस्य की कबीरधाम जिले में शासकीय भूमि में निवासरत व्यक्ति द्वारा पट्टा मांगे जाने के बावजूद उसे बेदखल किए जाने संबंधी सूचना।

7.याचिका की प्रस्तुति

श्री रामसेवक पैकरा, सदस्य ने विधानसभा क्षेत्र सूरजपुर के ग्राम पंचायत चेन्द्रा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के संबंध में याचिका प्रस्तुत की।

8. समितियों के लिये निर्वाचन

1. लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

माननीय अध्यक्ष ने सदन अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति त था सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिये क्रमशः 9-9 उम्मीदवारों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुये हैं, चूंकि तीनों समितियों के लिए क्रमशः 9-9 सदस्य ही निर्वाचित किये जाना है, अतः मैं, निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समितियों के लिये निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन उक्त समिति के सभापति को नियुक्त करते हैं :-

लोक लेखा समिति :-

1. डॉ. बालमुकुन्द देवांगन
2. श्री त्रिलोचन पटेल
3. श्री प्रीतम साहू
4. श्री अघन सिंह ठाकुर
5. श्री विजय अग्रवाल
6. श्री नोबेल कुमार वर्मा
7. श्री रामचन्द्र सिंह देव
8. श्री रविन्द्र चौबे
9. श्री गणेश शंकर बाजपेयी

श्री रामचन्द्र सिंह देव, सदस्य, को इस समिति का **सभापति** नियुक्त किया गया है।

प्राक्कलन समिति ः-

1. श्री संजीव शाह
2. श्री सिद्धनाथ
3. श्री देवजी पटेल
4. श्री दयाल दास बघेल
5. श्री विजयनाथ सिंह
6. श्री विनोद खांडेकर
7. श्री सत्यनारायण शर्मा
8. श्री धर्मजीत सिंह
9. श्री उदय मुदलियार

श्री संजीव शाह, सदस्य, को इस समिति का **सभापति** नियुक्त किया गया है।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति :-

1. श्री बद्रीधर दीवान
2. श्री विजय अग्रवाल
3. श्री इन्दर चोपड़ा
4. श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम
5. श्री भरत साय
6. श्री मोहम्मद अकबर
7. श्री भूपेश बघेल
8. डॉ. शक्राजीत नायक
9. श्री नंद कुमार पटेल

श्री बद्रीधर दीवान, सदस्य, को इस समिति का **सभापति** नियुक्त किया गया है।

2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति

माननीय अध्यक्ष ने सदन अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति त था पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये 9 उम्मीदवारों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुये हैं, नाम निर्देशन प्रपत्र वापसी के उपरांत 8 उम्मीदवार शेष हैं, अतः मैं शेष 8 उम्मीदवारों सहित एक स्थान हेतु सदस्य के ना मांकन के साथ समिति के सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन उक्त समिति के सभापति को नियुक्त करते हैं ः-

1. श्री देवलाल दुग्गा
2. सुश्री लता उसेण्डी
3. श्री विनोद खांडेकर
4. डॉ. त्रिविक्रम भोई
5. श्री प्रीतम साहू
6. श्री मोती लाल देवांगन
7. डॉ. शिवकुमार डहरिया
8. श्री कवासी लखमा
9. श्री लाल साय खूँटे

श्री देवलाल दुग्गा, सदस्य, को इस समिति का **सभापति** नियुक्त किया गया है।

3. नाम-निर्देशित समितियों का गठन

विधान सभा अध्यक्ष ने विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 203(1), 208(1), 213, 217(1), 224(2), 225(1), 231(2), .232(1), 233(1), 234-ग, 234-घ(2) एवं 234-ज(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं निम्नलिखित समितियों के लिए सदस्यों को वर्ष 2005-2006 की अवधि में सेवा करने के लिये नाम-निर्दिष्ट तथा नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन समितियों में उनके सभापतियों को नियुक्त किया :-

कार्य मंत्रणा समिति -

1. डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री
2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, गृह मंत्री
3. श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री
4. श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री
5. श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष
6. श्री रविन्द्र चौबे
7. श्री सत्यनारायण शर्मा
8. श्री भूपेश बघेल

माननीय अध्यक्ष विधान सभा उक्त समिति के पदेन सभापति होंगे।

◌

विशेष आमंत्रित सदस्य :-

1. श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री
2. श्री राम विचार नेताम, आदिम जाति कल्याण मंत्री
3. श्री अघन सिंह ठाकुर
4. श्री नन्द कुमार पटेल
5. श्री धर्मजीत सिंह

◌

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति -

1. श्री दयाल दास बघेल
2. श्री कमलभान सिंह
3. श्री ओमप्रकाश राठिया
4. श्री संजय ढीढी
5. श्री उदय मुदलियार
6. श्री राजकमल सिंघानिया
7. श्री योगेश्वर राज सिंह

श्री दयाल दास बघेल, सदस्य को उक्त समिति का **सभापति** नियुक्त किया गया है।

◌

याचिका समिति-

1. श्री छतराम देवांगन
2. श्री प्रीतम सिंह दीवान
3. श्री लच्छुराम कश्यप
4. श्री त्रिलोचन पटेल
5. श्री देवव्रत सिंह
6. श्री बोधराम कंवर
7. श्री राजेन्द्र पामभोई

श्री छतराम देवांगन, सदस्य को उक्त समिति का **सभापति** नियुक्त किया गया है।

◌

प्रत्यायुक्त विधान समिति -

1. श्री शिवप्रताप सिंह
2. श्री रामसेवक पैकरा
3. श्रीमती रमशीला साहू
4. सुश्री रोजलीन बेकमेन
5. डॉ. चेतन वर्मा
6. श्री चंद्रभान बारमते
7. श्री ताम्रध्वज साहू

श्री शिवप्रताप सिंह, सदस्य को उक्त समिति का **सभापति** नियुक्त किया गया है।

◌

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति -

1. श्री इन्दर चोपड़ा
2. श्री भरत साय
3. श्री ओमप्रकाश राठिया
4. डॉ. त्रिविक्रम भोई
5. श्री राजकमल सिंघानिया
6. श्री ताम्रध्वज साहू
7. श्री राजेन्द्र पामभोई

श्री इन्दर चोपड़ा, सदस्य को उक्त समिति का **सभापति** नियुक्त किया गया है।

◌

विशेषाधिकार समिति-

1. डॉ. सुभाऊ कश्यप
2. श्री विजय अग्रवाल
3. श्री छतराम देवांगन
4. श्री देवजी पटेल
5. श्री सत्यनारायण शर्मा
6. श्री गणेश शंकर बाजपेयी
7. श्री योगेश्वर राज सिंह

डॉ. सुभाऊ कश्यप, सदस्य को उक्त समिति का **सभापति** नियुक्त किया गया है।

◌

नियम समिति-

1. मान. श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, **अध्यक्ष विधान सभा, पदेन सभापति**
2. श्री ननकी राम कंवर, **विधि मंत्री, पदेन सदस्य**
3. श्री प्रीतम साहू

4. श्री देवलाल दुग्गा
5. श्री गुलाब सिंह
6. श्री रामपुकार सिंह
7. श्री चुरावन मंगेशकर

◌

सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति -

1. श्री अघन सिंह ठाकुर
2. श्री राजशरण भगत
3. श्री प्रीतम सिंह दीवान
4. श्री बैदूराम कश्यप
5. श्री लच्छुराम कश्यप
6. डॉ. हरिदास भारद्वाज
7. श्री देवव्रत सिंह
8. श्री ओंकार शाह
9. श्री लाल साय खूंटे

श्री अघन सिंह ठाकुर, सदस्य को उक्त समिति का **सभापति** नियुक्त किया गया है।

◌

पुस्तकालय समिति -

1. श्री त्रिलोचन पटेल
2. श्री राजशरण भगत
3. श्री कमलभान सिंह
4. सुश्री रोजलिन बेकमेन
5. श्री रविन्द्र चौबे
6. श्री नन्द कुमार पटेल
7. श्री नोबेल कुमार वर्मा

श्री त्रिलोचन पटेल, सदस्य को उक्त समिति का **सभापति** नियुक्त किया गया है।

◌

पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति -

1. श्री चन्दुलाल साहू
2. श्री रामसेवक पैकरा
3. श्री संजय ढीढी
4. श्री बैदूराम कश्यप
5. श्री सत्यनारायण शर्मा
6. श्री चैतराम साहू
7. श्री ओंकार शाह

श्री चन्दुलाल साहू, सदस्य को उक्त समिति का **सभापति** नियुक्त किया गया है।

◌

प्रश्न एवं संदर्भ समिति -

1. डॉ. बालमुकुन्द देवांगन
2. श्री चन्दुलाल साहू
3. डॉ. सुभाऊ कश्यप
4. श्री सिद्धनाथ
5. श्री धर्मजीत सिंह
6. श्री भूपेश बघेल
7. श्री चुरावन मंगेशकर

डॉ. बालमुकुन्द देवांगन, सदस्य को उक्त समिति का **सभापति** नियुक्त किया गया है।

आचरण समिति -

1. श्री बद्रीधर दीवान
2. श्री अघनसिंह ठाकुर
3. श्री संजीव शाह
4. श्री भूपेश बघेल
5. श्री सत्यनारायण शर्मा
6. श्री रविन्द्र चौबे

माननीय अध्यक्ष, विधान सभा उक्त समिति के पदेन सभापति तथा माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष उक्त समिति के पदेन सदस्य होंगे।

10.सदन की जांच समिति का गठन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उनके द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2005 को छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि विकास एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, प्रगति नगर, मोवा के द्वारा धान खरीदी प्रकरण की जांच तीन सदस्यीय सदन की जांच समिति से कराने की घोषणा की थी। तद्नुसार वे निम्नलिखित सदस्यों की जांच समिति गठित करते हैं :-

1. श्री विजय अग्रवाल

2. श्री विनोद खाण्डेकर

3. श्री उदय मुदलियार

श्री विजय अग्रवाल, सदस्य को समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

11.घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की, कि छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड से प्राप्त स्मृति चिह्न का वितरण कक्ष क्रमांक A-1 में किया जा रहा है।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि उपर्युक्त सामग्री कक्ष क्रमांक A-1 से हस्ताक्षर कर प्राप्त करने का कष्ट करें।

12.प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में समय वृद्धि का प्रस्ताव

(1) विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन

श्री बद्रीधर दीवान, सभापति (विशेषाधिकार समिति) ने छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम -228 के अंतर्गत प्रस्ताव किया कि -

श्री देवजी पटेल, सदस्य द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा, टाईम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के प्रकाशक बलराज अरोरा, संपादक श्री अरिंदम सेनगुप्ता एवं स्थानीय संवाददाता श्री लवकुमार मिश्रा, रायपुर के विरूद्ध -

समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचना पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) रायपुर स्थित सहकारी गृह निर्माण समितियों में अनियमितता संबंधी जांच समिति का प्रतिवेदन

श्री देवजी भाई पटेल, सभापति ने विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम -194 के उपनियम (1) के परंतुक की अपेक्षानुसार प्रस्ताव किया कि -

रायपुर स्थित सहकारी गृह निर्माण समितियों में अनियमितता संबंधी जांच समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री ननकीराम कंवर, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक-5 सन् 2005) पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

(सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री रविन्द्र चौबे, डॉ. बालमुकुंद देवांगन, धर्मजीत सिंह।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंडश: विचार हुआ।

खंड 2 व 3 विधेयक के अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री ननकीराम कंवर, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(1.31 से 2.31 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

(2) छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक-6 सन् 2005) पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री महेन्द्र कर्मा, देवजी भाई पटेल, रविन्द्र चौबे, नोवेल कुमार वर्मा, चंदूलाल साहू, धर्मजीत सिंह।

श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष ने आग्रह किया कि संशोधन विधेयक पर संदेह है तथा इसे प्रवर समिति को सौंपा जाए।

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005 प्रवर समिति को सौंपा जावे, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

1. श्री बद्रीधर दीवान
2. श्री रविन्द्र चौबे
3. डॉ. शिवकुमार डहरिया
4. श्री प्रीतम सिंह दीवान
5. श्री अघनसिंह ठाकुर
6. श्री नोवेल कुमार वर्मा
7. श्री सिद्धनाथ पैकरा
8. श्री ननकीराम कंवर, कृषि एवं विधि मंत्री

.श्री बद्रीधर दीवान, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्रस्ताव पर मत लिया गया।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(3) छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक-7 सन् 2005) पर विचार किया जाए।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंडश: विचार हुआ।

खंड 2 व 6 विधेयक केअंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

6.संकल्प

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम एन.एम.डी.सी. अपनी बैलाडीला (छत्तीसगढ़) स्थित लौह अयस्क खानों से उत्पादित आयरन ओर की सप्लाई/विक्रय करने में छत्तीसगढ़ राज्य की स्टील/स्पंज आयरन इकाईयों को प्राथमिकता प्रदान करे और देशी तथा विदेशी कंपनियों के साथ नए करारों का निष्पादन तथा वर्तमान करारों का नवीनीकरण स्थानीय इकाईयों हेतु कच्चे माल की मांग की पूर्ति करने के बाद करे तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, देवलाल दुग्गा, धर्मजीत सिंह, लच्छुराम कश्यप, डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव, विजय अग्रवाल, उदय मुदलियार, डॉ.सुभाऊ कश्यप, नोवेल कुमार वर्मा, महेन्द्र कर्मा।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प पर मत लिया गया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

15.सत्र का समापन

माननीय अध्यक्ष ने सत्र समापन के अवसर पर निम्नानुसार उद्‌गार व्यक्त किए-

सत्र समापन के अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय के उद्‌गार

मुख्यमंत्री, डॉ.रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष, श्री महेन्द्र कर्मा तथा सदस्य श्री नोवेल कुमार वर्मा ने भी इस अवसर पर अपने उद्‌गार प्रकट किए।

6.राष्ट्रगान

सदन में राष्ट्रगान **जन-गण-मन** संपन्न हुआ।

माननीय अध्यक्ष ने सत्र समापन की घोषणा की। इसके पश्चात् सायं 5.29 बजे विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,

सचिव,

छत्तीसगढ़ विधान सभा.